आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

मार्च 2025

क्रान्ति

मासिक

सहयोग राशि
30/-₹

महिला सशक्तीकरण के खोखले प्रतिमान और न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत



“सदक़े से माल में कमी नहीं आती।
भलाई के कामों में
ख़र्च करो,
तुम पर
ख़र्च किया
जाएगा।”

(हदीस : मुस्लिम, बुख़ारी)



A Well Wisher

J.I.H.
Jhunjhunu (Raj)

Website Link :
www.kantimasik.com

संपादक
शिब्ली अरसलान
abuaniqa@gmail.com

प्रबंधक
नईम ख़ान
+91 9891160829

सहयोग राशि
एक प्रति 30/- रु॰ एक वर्ष 350/- रु॰
पांच वर्ष 1500/- रु॰ आजीवन रु॰ 5000/-
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

कार्यालय :
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न॰
9818799223

Account Detail
NAME : KANTI
A/C NO : 0990839195
IFS CODE : IDIB000J029
TYPE : CURRENT
BANK : INDIAN BANK
BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025
चेक / ड्राफ्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं
Printer : Akhilesh Singh
Press : AARYA PRINTERS
201, Ground Floor, DSIDC Complex
Okhla Industrial Area phase-1,
New Delhi-110020
Editor : Shibli Arsalan

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

वर्ष 34 अंक 09 मार्च 2025

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

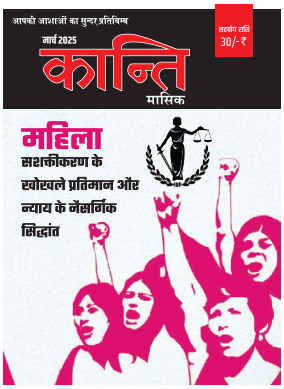

कान्ति मासिक

इस अंक में

मूल प्रश्न 04
व्यक्तित्व निर्माण का मौनसूनी मौसम-रमज़ान
शिब्ली अरसलान

चिंतन 06
विज्ञान, धर्म की अंतःक्रिया और समाज
डॉ. मुहम्मद रिज़वान

सौंदर्य बोध 11
मनुष्य एक नैतिक अस्तित्व
मुत्तलिब मिर्ज़ा

मुख्य स्तंभ 15
महिला सशक्तीकरण के खोखले प्रतिमान और न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत
सुफ़ियान अहमद

अभिमत 19
नारी स्वतंत्रता के नाम पर...
गरिमा सिंह

समाधान 21
सशक्त महिला के सही अर्थ की खोज
रहमतुन्निसा

कविता 24
जन्मकथा
अशोक वाजपेयी

समसामयिक 25
सुधार की आड़ में सामाजिक विभाजन का एक और क़दम
डॉ. प्रदीप कुमार

मंथन 29
संघीय बजट-2025 : स्वास्थ्य एवं रोज़गार की अनेदेखी क्यों ?
जितेंद्र गौतम

विशेष 32
गरिमा के साथअधिकार प्राप्त करें महिलाएं
मक़बूल अहमद फ़लाही

प्रकाश स्तंभ 35
रोज़े और उसके उद्देश्य
सैयद अबुल आला मौदूदी

सेहत 42
बदलते मौसम में बीमार होने से बचें
संपादन प्रभाग

करियर 44
12वीं के बाद करें पार्ट टाइम काम, न बनें अभिभावकों पर बोझ
संपादन प्रभाग

कहानी 45
ख़ुदा की मदद
यशपाल

आख़िरी पन्ना 49
सर्जक का अंतिम संदेश
डॉ. मुहम्मद इक़बाल सिद्दीक़ी

मूल प्रश्न



शिब्ली अरसलान

व्यक्तित्व निर्माण का मौनसूनी मौसम–रमज़ान

खाद पानी डाल कर भरपूर रख-रखाव के साथ पौधा रोपण तो हर मास में हो सकता है मगर मौनसून का मौसम यानी चौमास की बात ही कुछ और है, विशेष देख भाल की आवश्यकता नहीं होती, बस एक मज़बूत इरादा और बीजारोपण काफ़ी है। पौधा रोपण का ख़ास मौसम कहलाता है ये।



रमज़ान व्यक्तित्व निर्माण और चरित्र निर्माण के बीजारोपण का एक ऐसा ही अद्भुत और अनुपम मौसम है। रमज़ान में दुनिया भर में मुसलमान 'रोज़े' रखते हैं, सूर्योदय से भी काफ़ी पहले (सुबह की अज़ान से) से लेकर सुर्यास्त तक खाने-पीने से परहेज़ किया जाता है। क़ुरआन में रोज़े के लिए 'सौम' शब्द आया है, जिसका अर्थ है–रुकना, बचना, और निगाह रखना अर्थात् अपने आपको अल्लाह की निर्धारित की हुई हदों के अंदर रखना और मनोकामना पर नियंत्रण रोज़े की रूह है। इस्लाम चाहता है कि इंसानों में ईशपरायणता विकसित होने के साथ ही उनमें सद्गुणों का विकास हो और उनकी सारी क्षमता और शक्ति सकारात्मक और कल्याणकारी कार्यों में लगे। रमज़ान मास के रोज़े आध्यात्मिक और नैतिक प्रशिक्षण का सर्वोत्तम साधन है। इन रोज़ों के द्वारा रोज़ेदारों के मन में शुद्धता और हृदय में विशालता पैदा होती है। सत्कर्मों की प्रेरणा मिलती है, संयम पैदा होता है, चरित्र सुधार होता है और मनोकामनाओं पर क़ाबू पाने की शक्ति पैदा होती है। इसे क़ुरआनी शब्दावली में 'तक़वा' (ईश-परायणता) कहते हैं। क़ुरआन में है, "ऐ ईमान वालो तुम्हारे लिए रोज़े अनिवार्य कर दिये गये, जिस प्रकार तुमसे पहले के आज्ञाकारों के लिए अनिवार्य किये गये थे। इससे आशा है कि तुममें तक़वा (ईशपरायणता) का गुण पैदा होगा।"

इसी प्रकार अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने कहा है, "रोज़ा ढाल (दुनिया में गुनाहों से और आख़िरत में नरक से बचाने वाली) है" इस हदीस का अर्थ भी यही है कि रोज़ा 'तक़वा' की दशा पैदा करता है।

'तक़वा' अल्लाह की नाराज़गी से बचने के उस गहरे एहसास का नाम है, जो इंसान को भले कार्य के लिए उभारता है और बुरे कार्य से रोकता है। यह हृदय की विशिष्ट दशा है, जिससे एक विशेष प्रकार का आचरण और व्यावहारिक नीति अस्तित्व में आती है। इस दशा में हृदय हर समय ये देखता रहता है कि मेरा ईश्वर कहीं मुझ से नाराज़ न हो जाए।

तक़वा (ईशपरायणता) वास्तव में रोज़े के बिना पैदा हो ही नहीं सकता। ऐसी कई चीज़ें हैं जो तक़वा के विकास में सहायक सिद्ध हो सकती हैं मगर रोज़े की भूमिका केंद्रीय है। दूसरी कोई इबादत या कर्म रोज़े का विकल्प नहीं बन सकता। तक़वा का वास्तविक रंग रोज़े के द्वारा ही चढ़ता है। इसलिए इस्लाम में रमज़ान मास को विशिष्टता प्राप्त है। और इस मास की इबादत 'रोज़ा' पवित्रतम इबादत है। एक हदीस में है कि "गौरव का स्वामी प्रतापवान अल्लाह कहता है–आदम के बेटे का प्रत्येक कर्म पर उसका उचित बदला और इनाम निर्धारित है, सिवाय रोज़े के, क्योंकि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

'रोज़ा' कुछ दृष्टियों से इस्लाम के मूल स्वभाव का प्रतिबिंब है। इस्लाम की जो अवधारणा क़ुरआन व सुन्नत से मालूम होती है, उसकी रूप-रेखा रोज़े के आईने में सबसे अधिक स्पष्ट रूप में दिखाई देती है। इसका अर्थ ये हुआ कि रोज़ा इंसान को केवल कर्म से ही ईश-परायण नहीं बनाता, बल्कि सोच व दृष्टि से भी ईशपरायण बनाता है।

व्यक्तित्व और चरित्र का एक बड़ा आकर्षण विनम्रता, सहानुभूति, सहनशीलता और दयालुता है। ईश्वर के अंतिम दूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने रमज़ान के महीने को "शहरुल मवासात" कहा है, जिसका अर्थ है रमज़ान सहानुभूति, ग़मख़ारी और दयालुता का महीना है। इस माह में अपने क़रीबियों, पड़ोसियों और विशेष तौर पर मातहतों के साथ सहानुभूति प्रदर्शित करने और सेवा भाव से पेश आने का प्रशिक्षण भी होता है। इस मास को रहमत अर्थात दयालुता का मास कहा गया है। रहमत का आशय केवल अल्लाह की रहमत की बारिश नहीं है, अपितु बंदों पर बंदों की रहमत और दयालुता की ठंडी फुआरें भी हैं। रोज़ा जहां एक तरफ़ तक़वा (ईशपरायणता) और आत्म नियंत्रण के गुण पैदा करता है वहीं सहानुभूति, दयालुता और कल्याणकारी कार्यों की ओर अग्रसर रहने का प्रशिक्षण भी देता है। रोज़ा, रोज़ेदार को इंसानों पर भूख-प्यास में जो कुछ बीतती है, उसका आस्वादन कराता है। निजी अनुभव और एहसास से रोज़ेदार के भीतर सहानुभूति और सहायता की बड़ी मज़बूत और जीवंत भावना पैदा हो जाती है।

रमज़ान व्यक्तित्व निर्माण और चरित्र निर्माण के बीजारोपण का एक ऐसा ही अद्भुत और अनुपम मौसम है। रमज़ान में दुनिया भर में मुसलमान 'रोज़े' रखते हैं, सूर्योदय से भी काफ़ी पहले (सुबह की अज़ान से) से लेकर सुर्यास्त तक खाने-पीने से परहेज़ किया जाता है। क़ुरआन में रोज़े के लिए 'सौम' शब्द आया है, जिसका अर्थ है-रुकना, बचना, और निगाह रखना अर्थात् अपने आपको अल्लाह की निर्धारित की हुई हदों के अंदर रखना और मनोकामना पर नियंत्रण रोज़े की रुह है।

सहानुभूति और सहायता का दायरा बहुत विस्तृत है। इनकी ढेरों शाखाएं हैं। खाना खिलाना, रोगियों का इलाज, अनाथों और विधवाओं की ख़बरगिरी, मोहताजों और ज़रूरतमंदों की ज़रूरी आवश्यक्ताएं पूरी करना आदि ये सब सहानुभूति और सहायता की कुछ मिसालें हैं। इस सेवा के पात्र सब हैं। आपके घर वाले, पड़ोसी, निकट संबंधी, मित्र और आम जन भी।

सहानुभूति और सहायता के इस सार्वभौमिक कार्य की ओर ध्यान दिलाने और रमज़ान में इसका प्रशिक्षण लेते रहने के लिए हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने रोज़ेदार को इफ़्तार कराने की बड़ी प्रेरणा दी है। आपने कहा, "जो व्यक्ति किसी रोज़ेदार को इफ़्तार कराये तो उसके लिए गुनाहों से मुक्ति और दोज़ख़ की आग से रिहाई है। इस पर एक सहाबा (हज़रत मुहम्मद के साथी) ने कहा कि हम सबके पास तो इतना सामान नहीं होता कि रोज़ेदार को इफ़्तार करायें तो आप (सल्ल०) ने कहा कि अल्लाह ये सवाब उसको भी देता है जो एक घूंट दूध, एक खजूर या पानी के एक घूंट से किसी रोज़ेदार को इफ़्तार कराये।

इसलिए इस महीने में विशेष रूप से ऐसा प्रबंध हो कि समाज में कोई भूखा न सोये, कोई वंचित न रहे। ■■

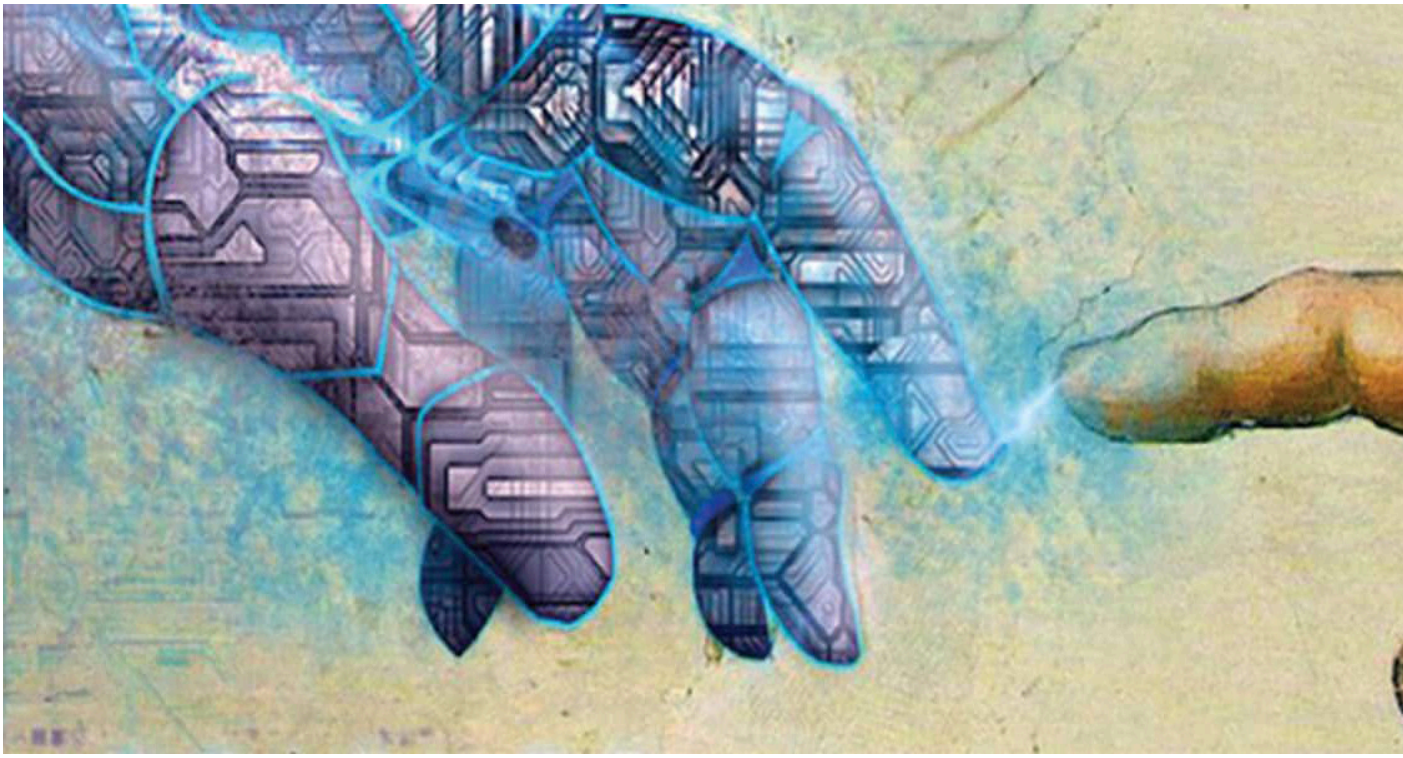

विज्ञान, धर्म की अंत:क्रिया और समाज

आधुनिक विज्ञान और धर्म तथा उनकी अंत:क्रिया एवं समाज के अंतर्गत कुछ बातों के अध्ययन से पहले इस बात को स्पष्ट करना महत्वपूर्ण लगता है कि विज्ञान और धर्म की परस्पर क्रिया का अध्ययन बहुत अधिक निष्पक्षता चाहता है। और इसमें शास्त्रीय पूर्वाग्रह (classical bias) होना बहुत संभव है। उदाहरण के लिए, विज्ञान को ही सब कुछ मान लेने वाले शोधकर्ताओं का पलड़ा इस अंत:क्रिया के सकारात्मक प्रभावों की ओर अधिक झुक जाता है; और तरीक़ा और तर्क दोनों पहलुओं से उनके निकट धर्म और विज्ञान की अंत:क्रिया में धर्म एक प्राचीन एवं अप्रचलित क्रिया (enterprise) होती है।

इसी प्रकार धार्मिक रुझान वाले शोधकर्ता विज्ञान को एक निम्न स्तर की गतिविधि के रूप में देखते हैं, और इस अंत:क्रिया के परिणामस्वरूप समाज पर होने वाले नकारात्मक पहलुओं पर ज़ोर देते हैं।

चिंतन



डॉ. मुहम्मद रिज़वान

विज्ञान और धर्म की परस्पर क्रिया का सबसे असाधारण प्रभाव ज्ञान और इसके स्रोतों के संदर्भ से है। आधुनिक विज्ञान से पहले वे शाश्वत प्रश्न जो कल्पना, अवधारणा, अवलोकन, बोध और प्रकृति के दृश्यों को देखकर मानव मन में उभरते थे। उनके उत्तरों का स्रोत संरचित धर्मों में "किताब" होती थी। उदाहरण के लिए, मनुष्य को किसने पैदा किया? धरती कैसी है? आकाश छत जैसा क्यों नज़र आता है? सभी प्राणी कैसे पैदा हुए होंगे? पहला मनुष्य कौन था? क्या अतीत में कुछ नहीं था? समय क्या है?

अब स्थिति अलग है। प्रश्न वही हैं, लेकिन उत्तर का स्रोत और शायद सबसे सही स्रोत विज्ञान को माना जाने लगा है।

ज्ञान के स्रोत के रूप में धार्मिक पुस्तकों के हट जाने का अपरिहार्य प्रभाव ज्ञान के स्रोत पर भी पड़ा। इससे पहले ज्ञान का एक महत्वपूर्ण माध्यम वे कथन

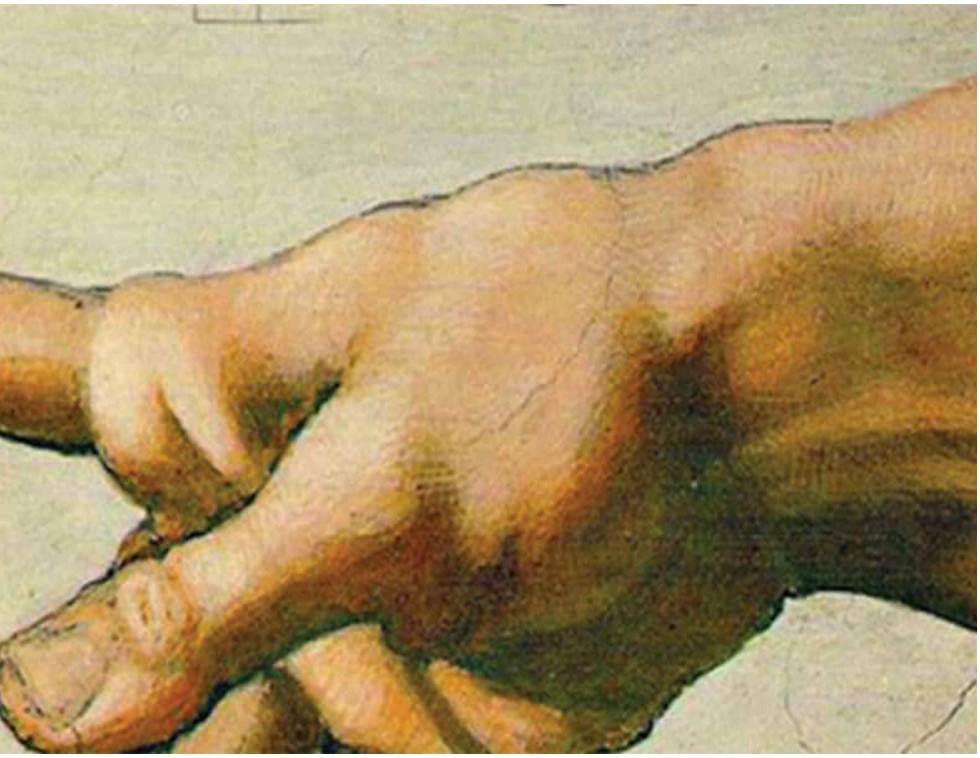

भी माने जाते थे जो महान हस्तियों से जोड़े जाते हैं। उदाहरण के लिए पैग़म्बरों की बातें या वे अवलोकन एवं अनुभव जो किसी भी माध्यम से हस्तांतरित होते थे। (मौखिक कहानियों के रूप में या अन्य माध्यमों से) सिरे से अस्वीकार कर दिये गए। इसलिए ज्ञान केवल वही माना जाने लगा जो अवलोकन, अनुभव, डेटा और उसके विश्लेषण से प्राप्त हो सके। बोध और अनुभूति के दायरे से बाहर कुछ भी ज्ञान नहीं है, ऐसा माना जाने लगा। इसका विकसित रूप विज्ञानवाद है, जो विज्ञान को ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत मानता है।

इस भ्रम से निकलने के लिए विज्ञान को 150 साल लग गये। और इस दौरान ज्ञान के स्रोत और ज्ञान के माध्यमों के स्तर से अंतःक्रिया ने बहुत सारे सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को जन्म दिया।

धार्मिक पुस्तकों में उन धार्मिक पुस्तकों की पहचान हो गई जो प्रमाणित "ज्ञान" से टकराती हैं या उन पुस्तकों में मौजूद बिल्कुल अतार्किक बिंदुओं की निशानदेही हो गई, जिनका स्पष्टीकरण किसी भी रूप में नहीं हो पाता या यदि स्पष्टीकरण है भी तो वह पूरी तरह से बुनियादी तर्क के सिद्धांतों के विरुद्ध है।

उदाहरण के लिए, शुरुआती ग्रीक पौराणिक कथाओं में, समुद्र में उभरते ज्वार-भाटे की व्याख्या किसी देवता के डकार लेने के रूप में किया जाता था। अब इस ज्वार-भाटे का मुख्य कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है। इसी तरह बादलों की गड़गड़ाहट को देवताओं के पेट की ख़राबी या अपच का कारण बताया जाता था। अब इसके वैज्ञानिक औचित्य मौजूद हैं जो बिल्कुल स्पष्ट हैं। इसी प्रकार बारिश की कमी या अकाल पड़ने के लिए हिंदू पौराणिक कथाओं में जल देवता की नाराज़गी का उल्लेख है।

सामाजिक स्तर पर भी इस अंतःक्रिया का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। व्यापक विचार या मनुष्य

विज्ञान और धर्म की परस्पर क्रिया का सबसे असाधारण प्रभाव ज्ञान और इसके स्रोतों के संदर्भ से है। आधुनिक विज्ञान से पहले वे शाश्वत प्रश्न जो कल्पना, अवधारणा, अवलोकन, बोध और प्रकृति के दृश्यों को देख कर मानव मन में उभरते थे। उनके उत्तरों का स्रोत संरचित धर्मों में "किताब" होती थी। उदाहरण के लिए, मनुष्य को किसने पैदा किया? धरती कैसी है? आकाश छत जैसा क्यों नज़र आता है? सभी प्राणी कैसे पैदा हुए होंगे? पहला मनुष्य कौन था? क्या अतीत में कुछ नहीं था? समय क्या है?

की समानता और भाईचारा, या उन अधिकारों की बहस, जिन्हें दमनकारी धार्मिकता ने अपने हितों के लिए छुपा दिए या धर्म की आड़ में उनका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए किया, उन सभी को विज्ञान ने उजागर कर दिया।

विज्ञान और धर्म के इस स्तर की परस्पर क्रिया ने धर्म के लिए एक असाधारण उपलब्धि हासिल की, जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए। वह यह



कि इसने एक अपेक्षाकृत यथार्थवादी बुद्धि को अपील करने वाले अपेक्षाकृत तार्किक और ज्ञानात्मक-व्यावहारिक स्तर पर विकासशील धर्म को मानने के लिए एक कारण पैदा कर दिया। इसलिए यदि कोई वैज्ञानिक या शोधकर्ता ऐसे धर्म की तलाश में हो जहां बयानबाज़ी Rhetoric कम और तर्क-वितर्क के लिए जगह हो, तो वह इस्लाम की ओर देख सकता है।

ज्ञान के स्रोतों और माध्यमों के बीच परस्पर क्रिया ने जिस पहलू से समाज को सबसे अधिक प्रभावित किया, वह समाज की धार्मिक अवधारणाओं पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भों से है। समाज की धार्मिक अवधारणाओं के औचित्य बदलने लगे। जब आधुनिक विज्ञान ने तेज़ी से प्रकृति के रहस्यों पर से पर्दा उठाना शुरू किया।

उदाहरण के लिए, शुरुआत में जब ऊष्मागतिकी (thermodynamics) के तहत यह कहा गया कि ब्रह्मांड शाश्वत है। हमेशा से था और हमेशा रहेगा, तो हिंदू धर्म में पुनर्जन्म और आवागमन की मान्यता के तहत यह गूंज सुनाई देने लगी कि ब्रह्मांड का हर कण शाश्वत है। आत्मा और पदार्थ का यह चक्र (cycle) चलता रहेगा और यह ब्रह्मांड कभी नष्ट नहीं होगा। फिर अब आधुनिक समय में यह कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड का एक आरंभ और अंत भी है। यह शाश्वत नहीं है और अंततः यह एक singularity पर जाकर रुक जाएगा। फिर यह कहा जाने लगा कि singularity दरअस्ल 'ब्रह्म' है, जिसमें जाकर हर चेतन और निर्जीव पदार्थ को विलीन हो जाना है!

इसी प्रकार, जब भौतिक और अभौतिक का द्वंद्व (duality) और मूर्त एवं अमूर्त के पर्दे हटने लगे तो धार्मिक अवधारणाओं की व्याख्याओं में अंतर स्पष्ट होने लगे और वैज्ञानिक सिद्धांतों के आलोक में धार्मिक अवधारणाओं की व्याख्या की जाने लगी तथा धर्म में तर्कशास्त्र का असाधारण विकास होने लगा।

यहीं से apologetics की बुनियाद पड़ी। विज्ञान और धर्म के बीच परस्पर क्रिया के इस पहलू से कोई भी धर्म, चाहे वह संरचित (Structured) हो या असंरचित, अछूता नहीं रहा। ईसाईयत, इस्लाम, यहूदियत, हिंदू धर्म, हिंदू पौराणिक कथाएं, चीन की जीवन आवधारणा आदि।

इस पहलू से परस्पर क्रिया का तार्किक परिणाम धार्मिक अवधारणाओं की अधिक से अधिक वैज्ञानिक व्याख्याओं पर हुआ। आधुनिक विज्ञान और धर्म की परस्पर क्रिया के अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ वह कोण है जिसके अनुसार, हम उसके प्रभावों की समीक्षा कर सकते हैं। इस अंतःक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव 'ज्ञान' का धार्मिक समूह या पोपतंत्र (पुरोहितवाद) के चंगुल से निकलकर आम लोगों तक पहुंच जाना है। यह एक चौंका देने वाला बदलाव था। विज्ञान ने पहली बार आम आदमी को यह अधिकार दिया कि वह इन सवालों के जवाब के लिए पोपतंत्र के अलावा कहीं और देख सकता था। यह अपने आप में एक बड़ी क्रांति है कि वे बुनियादी सवाल जो हर समझदार के मन में हैं, उनके जवाब के लिए उसे अपने

निसंदेह विज्ञान के कुछ मानदंड बिल्कुल सही हैं, लेकिन विज्ञानवाद के विपरीत विज्ञान ने यह दावा कभी नहीं किया है कि वह अंतिम सत्य तक पहुंचने का एकमात्र साधन है! विज्ञान ने यह दावा भी नहीं किया है कि अब केवल वह ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है।

ही जैसे किसी व्यक्ति के पास जाना होता था। अपनी बुद्धि के मार्गदर्शन के लिए उसे अपने ही जैसे किसी व्यक्ति के विश्लेषण और अपने ही जैसे किसी व्यक्ति की लिखी पुस्तक पर निर्भर रहना पड़ता था।

विज्ञान ने पहली बार किसी आम आदमी की बुद्धि पर निर्भरता को सही बताया। हालांकि, इस बुद्धि की प्रारंभिक प्रकृति के प्रश्नों के लिए किसी धार्मिक गुरु से प्रमाण तथा औचित्य एवं उत्तर मांगने की आवश्यकता नहीं थी। उदाहरण के लिए, क्या सभी मनुष्य



समान हैं? सभी मनुष्यों में समानता होनी चाहिए? या यह कि क्या एक इंसान दूसरे इंसान को खाने के लिए मार सकता है? आदि-आदि

अतः विज्ञान ने कम से कम इस पहलू से ज्ञान को मुक्त किया है और मानव समाज में "बुद्धि और तर्क" को उसका उचित स्थान दिलाने का प्रयास किया। यह अलग बात है कि बुद्धि और तर्क तथा भाव एवं तार्किकता के बीच असंतुलन ने मानव सभ्यता को धार्मिकता के संकट से निकालकर विज्ञानवाद या विज्ञान के संकट में डाल दिया, लेकिन विज्ञान के इस महत्वपूर्ण कारनामे से इन्कार करना बौद्धिक अन्याय है कि इसने दमनकारी धार्मिकता के विरुद्ध तार्किक धार्मिकता के लिए न केवल मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि उसकी आवश्यकता को भी स्पष्ट कर दिया।

इस लिहाज़ से देखें तो इस अतःक्रिया का असर और भी गहरा होता जाएगा। जैसे-जैसे विज्ञान, इसका तरीक़ा, इसके उद्देश्य तथा इसकी रूप-रेखा की सापेक्षता और स्पष्ट होती चली जाएगी और वैज्ञानिक ज्ञान और इसके स्रोत एवं इसके माध्यमों पर प्रश्नचिन्ह लगते चले जाएंगे। यह अंतःक्रिया भी बहुत ही कम समय में निर्णायक चरण में पहुंच गई है और इसे सभ्यताओं के विकास के बुनियादी सिद्धांतों में इसको देखा जा सकता है। आशा की जा सकती है कि निकट भविष्य में सच्चा विज्ञान, सच्चे धर्म के साथ मिलकर, मानव जाति के लिए एक नई सभ्यता को जन्म देने में सक्षम हो जाए।

निस्संदेह विज्ञान के कुछ मानदंड बिल्कुल सही हैं, लेकिन विज्ञानवाद के विपरीत विज्ञान ने यह दावा कभी नहीं किया है कि वह अंतिम सत्य तक पहुंचने का एकमात्र साधन है! विज्ञान ने यह दावा भी नहीं किया है कि अब केवल वह ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। ■■

अपील

इस्लामिक सेंटर वेल्लोर

THE QURAN
THE GUIDANCE FOR MANKIND

#19/4 Madar Saheb Street, R'N' Palyam ,Vellore 632001 Tamilnadu

अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक सेंटर, वेल्लोर तकरीबन निस्फ सदी से क़ुबूल ए हक़ के ज़रीन मोतियों की तालीम व तरबियत के अलावा समाजी,मआशी, अख़लाक़ी मुस्तक़िल देखभाल के लिए शहर वेल्लोर में दो माह के कोर्स की मुद्दत के दौरान मर्द व ख़्वातीन नेज़ लड़कों व लड़कियों के लिए अलग अलग क्लासेज व क़यामगाह तालीम व किफालत पूरी जिम्मेदारी और नौ मुस्लिम बस्तियों में मसाजिद और मकातिब का क़याम रियासत के जनूबी चार अज़ला में तकरीबन बीस मसाजिद के इंतजाम व इन्सराम बहुस्नो ख़ूबी देती आ रही है। इस अजीम ज़िम्मेदारी की अदायगी सिर्फ़ सालाना ज़क़ात और सदक़ात पर ही आश्रित है।

आप अहले ख़ैर हज़रात के अख़लाकी व माली तआवुन का इदारा ममनून और मशकूर है। और मुस्तक़बिल में भी आप की सरपरस्ती व तआवुन का मुतामन्नी है।

جزاک اللہ خیراً کثیرا کثیرا

Scan to Pay

Cheque, DD Or Bank Transfer
can be sent through bank;
UNION BANK OF INDIA, VELLORE BRANCH
A/C NO.:33300-10100-19006 IFSC
CODE:UBIN0533301
To make a bank transfer
send an SMS to 09500190520
with the details of the amount,

मनुष्य एक नैतिक अस्तित्व



मनुष्य ईश्वर की वह कृति है, जिसमें भलाई और बुराई के करने की पर्याप्त शक्तियां मौजूद होती हैं। मनुष्य इच्छाएं रखता है और उन्हें पूरा करने की कोशिशें करता है। मनुष्य अगर अपनी इच्छाओं को बेलगाम छोड़ दे और साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह उन्हें पूरा करने में लग जाए तो मनुष्य व समाज दोनों के लिए यह स्थिति भयावह होती है। इसीलिए ईश्वर ने मनुष्यों को ऐसी नैतिक व्यवस्था से परिचित कराया है जो उसे अपनी इच्छाओं पर क़ाबू रखना सिखाये। इच्छाओं की पूर्ति में सही व ग़लत का ज्ञान कराए और यह कि मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति में दूसरों के अधिकारों का हनन न करने लगे।

मानव समाज के विकसित और मज़बूत होने की वास्तविक कसौटी उसका नैतिक तौर पर परिपक्व होना ही है। नैतिक मूल्यों व शिष्टाचार के ज़रिये

सौंदर्य बोध



मुत्तलिब मिर्ज़ा

से ही किसी समाज को सुंदर, सुसज्जित और उदार बनाया जा सकता है। नैतिकता ही मनुष्य के व्यवहार का मुख्य आधार है। नैतिकता ही के द्वारा मनुष्य ईमानदारी, सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता और न्याय जैसे उच्च मूल्यों के साथ जीने लगता है। नैतिकता एक मनुष्य को दूसरे के आत्म-सम्मान व स्वाभिमान की रक्षा करना सिखाती है।

दूसरों के प्रति घृणा, पूर्वाग्रह व अहंकार के भाव को भी नैतिकता ही के द्वारा ख़त्म किया जा सकता है, जबकि नैतिक पतन समाज को मानसिक दिवालियेपन व संकीर्णता की खाई में ले जाता है और समाज बिखरने व बिगड़ने लगता है। मनुष्य हीन भावना से ग्रसित होने लगता है और इसी भाव में वह दूसरों को अपमानित करने, नफ़रत करने यहां तक की हत्या करने तक को आतुर हो जाता है। इस समय भारतीय समाज की सबसे बड़ी त्रासदी नैतिक मूल्यों का पतन होना है। देश में बढ़ती नफ़रत, असहिष्णुता और सामाजिक दायरों की संकीर्णता का एक बहुत बड़ा कारण नैतिक पतन है। देश के हर व्यक्ति को यह सवाल अपने आप से करना चाहिए कि क्या यही ''न्यू इंडिया'' का चरित्र है? क्या धर्मांधता में कोई व्यक्ति इस स्तर तक गिर सकता है जहां पशु भी उसे देखकर भयभीत हो जाए।

इस तरह की घटनाएं हमारे समाज के खोखलेपन को उजागर करती हैं,

पिछले साल अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक अश्वेत व्यक्ति की एक पुलिसकर्मी अपने पैर से गला दबा कर हत्या कर देता है। इस घटना के बाद पूरे अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के ख़िलाफ़ प्रदर्शन होते हैं, आरोपी पुलिसकर्मी के ख़िलाफ़ मात्र तीन सप्ताह में सुनवाई ख़त्म हो जाती है, और पीड़ित को न्याय मिल जाता है, अमेरिकी सरकार नस्लीय भेदभाव व पुलिस सुधार के लिए ''जॉर्ज फ्लॉयड न्याय'' नाम से बिल भी लेकर आती है, भारत में हर रोज़ जातीय, नस्लीय व धार्मिक भेदभाव के चलते हत्या, बलात्कार व शोषण की कितनी ही घटनाएं होती हैं, लेकिन भारतीय समाज में इस तरह की घटनाओं के बाद भी किसी बड़े परिवर्तन की चर्चा शुरू नहीं होती है।

भारतीय समाज में बढ़ती हुई धर्मांधता व नैतिक पतन का अंदाज़ा इन घटनाओं से लगा सकते हैं कि हाल

मनुष्य ईश्वर की वह कृति है, जिसमें भलाई और बुराई के करने की पर्याप्त शक्तियां मौजूद होती हैं। ईश्वर ने मनुष्यों को ऐसी नैतिक व्यवस्था से परिचित कराया है जो उसे अपनी इच्छाओं पर काबू रखना सिखाये। इच्छाओं की पूर्ति में सही व ग़लत का ज्ञान कराए और यह कि मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति में दूसरों के अधिकारों का हनन न करने लगे।

ही में क्रिकेट विश्वकप में भारतीय टीम के कमज़ोर प्रदर्शन पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को सोशल मीडिया पर उनकी 9 महीने की बेटी के बलात्कार की धमकी मिलती है, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को कुछ वर्ष पहले इसी तरह सोशल मीडिया पर उनकी बेटी के बलात्कार की धमकी मिलती है, क्योंकि वह एक पाकिस्तानी क्रिकेटर के बेटे को गोद में लेकर प्यार करते हैं, कई गांवों और क़स्बों में फेरी वालों से पहचान पत्र मांग कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनका धर्म क्या है और इसके बाद उन्हें वहां अपना सामान बेचने की इजाज़त मिलती है।

इन घटनाओं से केवल असहमत होना काफ़ी नहीं है। अगर ये घटनाएं हमें बेचैन और विचलित नहीं करती हैं तो इसका अर्थ यह है कि हमारा समाज नैतिक पतन के चरम बिंदु की ओर बढ़

❊ अल्लाह और रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो जबकि वो तुम्हें बुलाते हैं उस चीज़ की तरफ जिसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। (क़ुरआन) ❊ उस शख़्स से बेहतर किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाये और नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ। (क़ुरआन)



हिन्दुस्तान के मशहूर दीनी-इल्मी, फिक्री और म्यारी अख़बार व रसाइल (पत्रिकाओं) का मुताला(अध्ययन)कीजिए

इस सिलसिले में हमारी ख़िदमात हासिल कीजिए :

पेपर – पत्रिका	प्रति कापी	सालाना खरीददारी
✪ कान्ति साप्ताहिक अख़बार	7/-	350/-
✪ कान्ति मासिक पत्रिका	30/-	350/-
✪ दावत उर्दू अख़बार साप्ताहिक	15/-	750/-
✪ जिंदगी–ए–नौ उर्दू महाना	35/-	400/-

सालाना खरीददारी व ग्राहक बनने के लिए राब्ता करें :

मुहम्मद शहज़ाद (उत्तर प्रदेश), मोबाइल नं। : 9808080806

रहा है। यह सब सामान्य घटनाएं नहीं हैं। यह धर्मांधता एवं नैतिक पतन का नतीजा है, जिसने भारतीय समाज को इतना खोखला व कमज़ोर कर दिया कि वह किसी को प्रेम करता हुआ नहीं देख सकता। हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं, जहां बलात्कार की धमकी देने वाले को कोई डर नहीं होता, लेकिन दिलों को जोड़ने वाले के ख़िलाफ़ एक भीड़ खड़ी हो जाती है।

भारतीय समाज की वर्तमान स्थिति पैग़म्बर ईसा मसीह के उस मशहूर कथन की सी हो रही है जो उन्होंने उस समय के आडम्बरों और दिखावों से भरे समाज से कहा था कि ''तुम्हारी हालत उन क़ब्रों की जैसी है जिन्हें ऊपर से रंग-रोगन किया गया है, हालांकि उसके अंदर मनुष्य की सड़ी-गली हड्डियों के सिवा कुछ नहीं है।''

यह भारतीय समाज की बदनसीबी ही है कि इस तरह की घटनाओं को राजनीतिक समर्थन मिलता है, यह घटनाएं ''धर्मसेवा'' एवं ''राष्ट्रसेवा'' समझी जाने लगी हैं। इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले अपने आपको ''धर्म-रक्षक'' कहते हैं, हालांकि धर्म तो नैतिकता का नाम है। नैतिक परिपक्वता ही धार्मिकता है। धर्म वही है जो मनुष्य को नैतिक तौर पर परिपक्व करे। धर्म इन्सान के चरित्र का उत्थान करता है और उसके व्यवहार में शिष्टाचार लाता है। भारत के मशहूर विचारक सैयद सुलेमान नदवी अपनी पुस्तक सीरतुन्नबी में लिखते हैं–''दुनिया की सारी ख़ुशी, ख़ुशहाली और शांति नैतिकता की दौलत से है। इसी दौलत की कमी को सरकार और संगठन अपने क़ानून की ताक़त से पूरा करते हैं। अगर मनुष्य अपने नैतिक मूल्यों व कर्तव्यों का निर्वहन पूरी तरह करे तो सरकार को किसी सख़्त क़ानून की आवश्यकता न रहे, इसीलिए धर्म वह है जिसका नैतिक दबाव अपने मानने वालों पर इतना हो कि वह उनके क़दम सीधे रास्ते से भटकने न दें।''

पैग़म्बर मुहम्मद का कथन है– ''मुझे नैतिक मूल्यों को पूर्ण करने के लिए भेजा गया है।'' अर्थात ईश्वर ने जो धर्म इन्सानों के लिए बनाया उसका आधार नैतिकता है, मनुष्य के नैतिक अस्तित्व की महत्ता का अंदाज़ा लगाने के लिए पवित्र क़ुरआन में ईश्वर का यह कथन विचारणीय है–''नहीं! मैं क़सम खाता हूं, क़यामत के दिन की और नहीं ! क़सम खाता हूं मैं मलामत करने वाली आत्मा की, क्या मनुष्य यह समझता है कि हम उसकी हड्डियों को कभी इकट्ठा नहीं करेंगे, हरगिज़ नहीं, हम उसके पोरों को भी ठीक-ठीक बनाने की सामर्थ्य रखते हैं।'' (क़ुरआन-15:1-4)

यह मनुष्य के उस नैतिक अस्तित्व



का वर्णन है जो मनुष्य से कोई ग़लती या गुनाह होने पर इसे झंझोड़ता है, कचोके मारता है, हम अपने अंदर झांकें और देखें कि यह नैतिक अस्तित्व हमारे अंदर मौजूद है या नहीं, हमारे अंदर वह आत्मा जीवित है या नहीं जो अमानवीय दृश्यों को देखने के बाद हमें अंदर से मलामत करती हो। इस समय भारतीय समाज का सबसे बड़ा कर्तव्य इस मलामत करने वाली आत्मा को अपने अंदर और समाज में जीवित करना व जीवित रखना है ताकि इस समाज को वीरान होने व चमगादड़ों व उल्लुओं का ठिकाना बनाने से बचाया जा सके। ■■

“

जब इन्सान मर जाता है तो उसके कर्मों का सिलसिला टूट जाता है। अलबत्ता तीन चीज़ें ऐसी हैं जो इससे अलग हैं- जारी रहने वाला सदक़ा या ज्ञान जिससे फ़ायदा उठाया जाए, या नेक संतान जो उसके लिए दुआ करे।

(हदीस : मुस्लिम)

”

A Well Wisher

Khursheed Ahmad

Hajipur Vaishali, Bihar

महिला सशक्तीकरण के खोखले प्रतिमान और न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत



महिला सशक्तिकरण एवं प्रगति के संबंध में सैद्धांतिक रूप से चाहे जो भी कहा जा रहा हो, लेकिन व्यावहारिक रूप से तो उनकी स्थिति दयनीय ही बनी हुई है। महिलाओं के ख़िलाफ़ यौन हिंसा और अपराधों के आंकड़ों को देखते हुए साफ़ तौर पर यह कहा जा सकता है कि महिला अधिकार, सुरक्षा और न्याय का प्रश्न अभी भी मुंह बाए खड़ा है। यह सही है कि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। शिक्षित होने के बाद उन्होंने अपनी क्षमताओं को पहचाना, लेकिन यह भी एक कटु सत्य है कि घरों से लेकर कार्यालयों तक उनका शोषण किया जा रहा है। कई अध्ययन महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध में भारत को शीर्ष स्थान पर रखते हैं।

मुख्य स्तम्भ



सुफ़ियान अहमद

महिलाओं की आज़ादी सामाजिक समानता और सामाजिक बराबरी के संबंध में अक्सर बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं। लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों की बात कही जाती है। कहा जाता है कि महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं। हर क्षेत्र में उन्होंने अपना लोहा अपनी मेहनत, हिम्मत, हौसले और बहादुरी से मनवा लिया है। वर्तमान समय में दुनियाभर में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज न करा दी हो। यहां तक कि वे शासन और प्रशासन के शीर्ष पदों पर भी विराजमान हैं।

यह सिक्के का एक पहलू है, जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जब हम महिला स्वतंत्रता और सामाजिक बराबरी की बात करते हैं

तो कार्य, व्यवसाय और बड़े-बड़े पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं कोई कमी नज़र नहीं आती, लेकिन सवाल उठता है कि क्या महिला सशक्तीकरण इसी का नाम है? क्या समाज में उनके व्यवसाय या नौकरियों में उनकी भर्ती को देखकर हम इसे उनकी उन्नति का पैमाना समझें?

वास्तविकता यह है कि स्वतंत्रता, समानता और प्रगति की यह ग़लत अवधारणा समाज को किस प्रकार असंतुलित कर रही है, इसका अनुमान लगाया जाना आवश्यक है। टूटते घर, बिखरते परिवार, समाज में रिश्तों का कम होता महत्व और महिलाओं के ख़िलाफ़ बढ़ते अपराधों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां भविष्य में कैसे समाज की तस्वीर प्रस्तुत करती हैं? क्या इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए।

महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के मामले में आज हमारा समाज इतना असंवेदनशील हो चुका है कि अपराधियों को दंड देना तो दूर, महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाले बहुत से कृत्यों को अपराध की श्रेणी में भी नहीं रखा जाता है। महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाले अपराधों में लगातार वृद्धि दर्ज हो रही है। साइबर अपराधों के मामले भी आए दिन सामने आते रहते हैं। महिलाओं को अपमानित करने और उनका शील भंग करने वाले असामाजिक तत्व क़ानून की गिरफ़्त से दूर नज़र आते हैं। तथाकथित महिला सशक्तीकरण के खोखले नारे लगाने वाले महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता को आख़िर किस नज़र से देखते हैं? इस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।

दरअस्ल, महिलाओं को लेकर स्वतंत्रता, समानता और न्याय की आज जो परिभाषा गढ़ी जा रही है उस पर पश्चिम का प्रभाव है। स्वतंत्रता और समानता का झांसा देकर महिलाओं को बाहर निकाला गया और इसे महिला सशक्तीकरण का नाम देकर हर जगह उनके शोषण के सारे रास्ते खोल दिए गए, जहां उनका आर्थिक शोषण के साथ-साथ शारीरिक शोषण भी देखने को मिलता है।

आज महिलाएं कहीं भी अपने मान-सम्मान, पवित्रता और गरिमा की गारंटी के साथ नहीं रह पा रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा कहीं भी सुनिश्चित नहीं है। महिलाओं से जुड़ी विभिन्न रिपोर्टें बताती हैं कि महिलाओं का मान-सम्मान उन्हें नहीं मिल रहा है। सवाल यह है कि महिलाओं के मान-सम्मान और सशक्तीकरण के संबंध में हम कैसी तस्वीर पेश कर रहे हैं? परिस्थितियां जो सवाल खड़े कर रही हैं, उसका हमारे पास क्या जवाब है? दुनियाभर में महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा, अत्याचार और शोषण के बढ़ते हुए रुझानों की रोकथाम के लिए हम कितने प्रतिबद्ध हैं?

बेलगाम पूंजीवाद के बढ़ते प्रभाव तथा बाज़ारवाद ने नारी देह और उसकी सुंदरता के प्रदर्शन को विज्ञापन, बाज़ार और प्रचार का प्रमुख साधन बना दिया है। समाज में इसका प्रभाव इतना बढ़ गया है कि आज नारी की दैहिक सुंदरता और उसके प्रतिमान लड़कियों और महिलाओं के आदर्श बनते जा रहे हैं।



दरअस्ल, महिला सशक्तीकरण के नाम पर गढ़े जा रहे ग़लत प्रतिमानों द्वारा ऐसा माहौल बनाया गया, जिसमें महिलाओं को उनका सही स्थान और अधिकार नहीं मिल पा रहा है। आज स्थिति यह है कि तथाकथित, प्रबुद्ध और सभ्य कहे जाने वाले समाजों में

ही महिलाओं को अधिक शोषण और अत्याचार का शिकार होना पड़ रहा है। महिलाओं के ख़िलाफ़ यौन हिंसा के आंकड़ों पर नज़र डालें तो अधिकतर विकसित और स्वतंत्र सोच वाले देश इस सूची में सबसे आगे नज़र आते हैं।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों पर यदि ग़ौर करें तो इस सूची में पहला नाम अमेरिका का आता है। इसी क्रम में यदि शीर्ष दस देशों की बात करें तो सभ्य और प्रबुद्ध कहे जाने वाले देशों में क्रमशः दक्षिण अफ़्रीक़ा, स्वीडन, भारत, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और अंत में श्रीलंका व इथियोपिया जैसे देशों के नाम आते हैं। हैरानी की बात यह है कि परेशान कर देने वाली ऐसी रिपोर्टों के बावजूद इनमें से अधिकांश ख़ुद को विकसित, स्वतंत्र विचार और महिला मुक्ति का अग्रदूत देश मानते हैं। महिला सशक्तीकरण की सतही बातों में आकर महिलाओं ने क्या हासिल किया इस पर गहन चिंतन-मनन और मंथन करने की आवश्यकता है।

महिलाओं का अस्ली सशक्तीकरण उनकी बुद्धि और कौशल से ही हो सकता है। महिला सशक्तीकरण की जब तक ग़लत परिभाषा गढ़ी जाती रहेगी तब तक महिलाओं के सशक्तीकरण की राह आसान होने वाली नहीं है।

वास्तविकता यह है कि ऐसी स्वतंत्रता और समानता जोकि अपने आप में प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हो, हासिल करने से सिवाय नुक़सान के फ़ायदा कभी नहीं होता। आज आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं के गरिमापूर्ण अस्तित्व, समानता, सुरक्षा के साथ-साथ उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों से जुड़े प्रश्नों पर भी विचार किया जाना चाहिए। समानता के साथ-साथ न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों और नियमों को भी समझने की आवश्यकता है। महिलाओं को असाधारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही उनकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक ज़रूरतें भी अलग-अलग होती हैं।

वास्तविकता यह है कि स्वतंत्रता, समानता और प्रगति की यह ग़लत अवधारणा समाज को किस प्रकार असंतुलित कर रही है, इसका अनुमान लगाया जाना आवश्यक है। टूटते घर, बिखरते परिवार, समाज में रिश्तों का कम होता



महत्व और महिलाओं के ख़िलाफ़ बढ़ते अपराधों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां भविष्य में कैसे समाज की तस्वीर प्रस्तुत करती हैं? क्या इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए।

सर्वशक्तिमान ईश्वर और जगत स्रष्टा ने इन्सान होने की हैसियत से पुरुषों और महिलाओं, दोनों को समान दर्जा दिया है। उनकी प्रतिस्पर्धा पुरुषों के साथ नहीं है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों की प्रवृत्तियों में प्राकृतिक रूप से भेद है। स्त्री और पुरुष दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं प्रतिद्वंदी नहीं। केवल सतही मामलों पर हंगामे और महिलाओं को उनकी प्रकृति के विपरीत धारा की ओर धकेलने से महिलाओं का सशक्तीकरण होगा इसे सही मान लेना महिलाओं के साथ अन्याय होगा। आज दुनिया को यह समझने की ज़रूरत है कि सृष्टीकर्ता ने स्त्री एवं पुरुष के बीच जो विभेद किए हैं उनका आधार न्याय है और प्रकृति के इस न्याय को स्वीकर किया जाना चाहिए। ■■

कान्ति के वे सब्सक्राइबर

जिन्होंने अभी तक अपनी ख़रीदारी की रक़म जमा नहीं की है,

बराय मेहरबानी

इस QR Code

के ज़रिये जल्द अदायगी करें।

Name: KANTI

Pay Directly to: kanti8920589292@indianbk

नोट :

अदायगी के बाद

स्क्रीनशॉट

इस नम्बर पर

(9818799223)

ज़रूर भेजें।



नारी स्वतंत्रता के नाम पर...

अभिमत



गरिमा सिंह

यह भूमंडलीकरण का दौर है, जहां बाज़ारवाद अपना परचम लहरा रहा है और मानवीय मूल्यों का व्याकरण भी लगातार बदल रहा है। बाज़ार वह जगह है, जहां वस्तुएं ख़रीदी और बेची जाती हैं। बाज़ार का अपना अर्थतंत्र है, अपना प्रबंधन है। व्यवसाय करने की अपनी नीति-रीति है। वह मनोवैज्ञानिक रूप से हमें प्रभावित करता है। बाज़ारवाद एक वृत्ति है, जो जीवन को मूल्यों से अलग करने का काम करती है। यह स्त्री मानस और उसके आत्मविश्वास को भी प्रभावित कर रहा है।

इस नव-आर्थिक-उपनिवेशवाद और विज्ञापन के व्यवसाय ने महिलाओं को जीविकोपार्जन के अनेक विकल्प दिए, लेकिन स्त्री अस्मिता का प्रश्न जस का तस बना रहा। विज्ञापन ने स्त्री और उसके देह-सौंदर्य का व्यवसायीकरण किया है। आज विज्ञापनों में स्त्री की एक बहुत बड़ी भूमिका है। भूमंडलीकरण के दौर में बाज़ार सीधा महिलाओं के ज़रिये उपभोक्ताओं को लक्ष्य बनाता है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि इन विज्ञापनों में स्त्री की छवि को किस रूप में प्रसारित किया जा रहा है। क्या स्त्रियां इनके माध्यम से अपनी परंपरागत छवियों से बाहर आ रही हैं? या वास्तव में मां, पत्नी और गृहिणी की परंपरागत छवि इनके माध्यम से और पुख़्ता हो रही है?

भूमंडलीकरण के इस दौर में बाज़ारवाद अपना परचम लहरा रहा है और मानवीय मूल्यों का व्याकरण भी लगातार बदल रहा है। । बाज़ारवाद ने अपने फ़ायदे के लिए स्त्री को, स्त्री स्वतंत्रता की एक झूठी चयनशीलता दी है।

जो स्त्रियां घरों से बाहर निकल कर काम कर रही हैं, जिन्हें सशक्त माना जा रहा है और दावे भी किए जा रहे हैं कि 'वह बाज़ार को नचाने का सामर्थ्य रखती हैं, भले बाज़ार उसे नचा रहा हो। पर प्रश्न है कि क्या वाक़ई वह अपनी क़ीमत ख़ुद तय कर पा रही है? ब्रांड का प्रचार कर अधिकाधिक मुनाफ़े का लक्ष्य रखने वाले विज्ञापनों में क्या स्त्री छवि केवल उप-उत्पाद है? ऐसे विज्ञापन जो व्यक्ति के मन-मस्तिष्क पर सशक्त छाप छोड़ते हैं, क्या स्त्रियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं बनाते? हालांकि बाज़ार पुरुष को भी नहीं बख़्शता। ज़रूरत पड़ने पर यह उसके भी कपड़े उतरवाने में गुरेज़ नहीं करता, पर विज्ञापन में स्त्री सौंदर्य का जो पैमाना रखा गया है, वह स्त्री मनोविज्ञान को किस तरह प्रभावित करते हैं?

विज्ञापनों का मक़सद सामान बेचना होता है। इसके लिए ख़रीदार को लक्ष्य किया जाता है। कभी महिलाएं ख़ुद लक्ष्य होती हैं, तो कभी उनकी वजह से पुरुष कोई ख़ास सामान ख़रीदने को प्रेरित होते हैं। विज्ञापन उनके आत्मविश्वास को कम करते हैं और तथाकथित कमियों की तरफ़ इशारा करते हैं। यह देखा गया है कि ख़ास क़िस्म के विज्ञापनों में भी स्त्री-शरीर



के ज़रिये विज्ञापनों को प्रचारित किया जाता है। मसलन, मोटापा कम करने या कहें 'स्लिम-फिट' होने के विज्ञापन मुख्यतः स्त्री-केंद्रित होते हैं। चाहे यह विज्ञापन मशीनों द्वारा वज़न कम करने का हो या रस और फल-सेवन के उपाय सुझाने वाला, लेकिन हमेशा स्त्री-शरीर ही निशाने पर रहता है।

इसमें एक तरफ़ ज़्यादा वज़न वाली अधनंगी (बिकिनी पहनी) स्त्री पेश की जाती है, तो दूसरी तरफ़ छरहरी-अधनंगी स्त्री। एक तरफ़ ज़्यादा वज़न वाली के खाने का चार्ट दिखाया जाता है, तो दूसरी तरफ़ कम वज़न वाली का। फिर दोनों की तुलना की जाती है कि किस तरह कम वज़न वाली स्त्री मशीन के उपयोग से या कम भोजन कर आकर्षक, कामुक और सुंदर लग रही है। दूसरी तरफ़ अधिक वज़न वाली स्त्री वीभत्स, अकामुक और कुत्सित लग रही है। इसलिए फ़लां-फ़लां चीज़ सेवन करें या फ़लां मशीन उपयोग में लाएं ताकि आप भी आकर्षक और कामुक दिख सकें।

सवाल है कि अधिकतर विज्ञापन स्त्री-शरीर केंद्रित ही क्यों होते हैं? क्या स्त्री के अधोवस्त्र या निर्वस्त्र शरीर के ज़रिये विज्ञापन प्रोमोट करने पर वस्तु की मार्केटिंग में इज़ाफ़ा होता है? क्या इससे विज्ञापन कंपनी को फ़ायदे होते हैं? विज्ञापन स्त्रियों के उन्हीं रूपों को प्रधानता देता है, जो शरीर के प्रदर्शन से संबंध रखता है, उसकी बुद्धि और मेधा के विकास से नहीं, उसकी पढ़ाई से नहीं, उसकी सर्जनात्मकता से नहीं, उसकी अस्मिता से नहीं।

विज्ञापनों में महिलाओं के दो रूप प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। एक, महिला का उत्तेजक और अश्लील रूप और दूसरा पूर्णतः पारंपरिक, सामंती मूल्यों को जारी रखने वाला, जिसमें घर और संस्कृति को बनाए रखने का भावपूर्ण रूप से दिखाई देता है। जितने भी घरेलू उत्पादों के विज्ञापन हैं उनमें महिलाओं का वही पारंपरिक सांस्कृतिक रूप दिखाया जाता है। ऐसे घरेलू उत्पादों के विज्ञापनों की पूरी विषय-वस्तु श्रम विभाजन को स्पष्ट रूप से समझाती है। दूसरी तरफ़ यह भी समझना होगा कि पूंजीवाद ने अपने फ़ायदे के लिए स्त्री को, स्त्री स्वतंत्रता की एक झूठी चयनशीलता दी है। वास्तव में यह एक प्रकार का भयावह मतिभ्रम है, जहां महिला की वास्तविक मुक्ति नगण्य है, क्योंकि स्त्री-मुक्ति के रास्ते को भूमंडलीकरण ने बेहद भ्रामक मोड़ दे दिया है। ■■ *(स. जनसत्ता)*



सशक्त महिला के सही अर्थ की खोज



हर साल आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से महिलाओं के लिए यह दिन मनाने के लिए तारीख़ तय की गई है। यह सही है कि महिलाओं को शिक्षा, करियर और सियासत के मैदान में बेहतर अवसर मिले और दुनिया के कई हिस्सों में इस तरह के आयोजनों की बदौलत महिलाओं के अधिकार को लेकर जागरूकता आई है। महिला अधिकार के आंदोलन की कोशिशों का सम्मान करते हुए हम कह सकते हैं कि वे लोगों में यह जागरूकता पैदा करने में कामयाब हुईं कि महिलाओं की हालत दयनीय है।

शुरू में, इसने महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हालात को बेहतर बनाने में किसी हद तक मदद की, लेकिन अगर हम सच्चाई का गहराई से विश्लेषण करें तो ऐसे आयोजनों से दुनिया-भर में महिलाओं के जीवन में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। अधिकतर महिलाओं को यह भी नहीं मालूम कि उनके नाम पर हर साल एक दिन मनाया जाता है।

> **हर साल आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से महिलाओं के लिए यह दिन मनाने के लिए तारीख़ तय की गई है। यदि हम सच्चाई का गहराई से विश्लेषण करें तो ऐसे आयोजनों से दुनिया-भर में महिलाओं के जीवन में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। अधिकतर महिलाओं को यह भी नहीं मालूम कि उनके नाम पर हर साल एक दिन मनाया जाता है।**

जिन समाजों में हालात बेहतर हो चुके हैं, वहां महिलाएं समान मौक़े हासिल करने और ख़ुद को पुरुषों के बराबर साबित करने के लिए मुसीबत और दोहरा बोझ उठा रही हैं। अधिकार और समानता के नाम पर महिलाओं को बताए बिना ही उन्हें अतिरिक्त ज़िम्मेदारियों की ओर धकेला जा रहा है। पेशावराना मैदान में महिला की ओर से मामूली-सी ग़लती आम हो जाती है और लोग टिप्पणी करने लगते हैं कि ऐसा इसलिए होता है कि वह महिला है।

उन कथित आज़ाद समाजों का जो अपनी महिलाओं के लिए समान हैसियत हासिल करने का दावा करते हैं, अगर अच्छी तरह से विचार किया जाए तो हम समझते हैं कि महिलाओं ने दबाव झेल कर, संघर्ष और तमाम क़ुरबानियों की तुलना में कुछ हासिल नहीं किया



जो उन्हें समाज में ख़ुद की बराबर की हैसियत स्वीकृत करवाने के लिए देनी पड़ती हैं।

आत्मनिर्भर और सफल महिला की कल्पना एक महिला और उसके परिवार को फ़ायदे से ज़्यादा नुक़सान पहुंचाती है। यह बात सिर्फ़ कहने के लिए है ''मुझे पुरुषों की तरह मौक़े चाहिए'' और ''मैं पुरुषों जैसा बनना चाहती हूं।'' अगर आप किसी की तरह बनना चाहती हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उसमें कुछ बेहतर देखती हैं और आप मानती हैं कि आप में कुछ कमियां हैं। अतः विश्वास और आत्म-सम्मान पैदा करने की बजाए, यह नारे फिर से महिलाओं को बताते हैं कि आप कमतर हैं और आपको बदलने की ज़रूरत है। समानता की जिस तरह व्याख्या की गई है समस्या उसी में है। अधिकतर उदारवादी महिलाओं के निकट 'समानता' का मतलब एक जैसा है।

नतीजा यह निकला कि लड़की

उन कथित आज़ाद समाजों का जो अपनी महिलाओं के लिए समान हैसियत हासिल करने का दावा करते हैं, अगर अच्छी तरह से विचार किया जाए तो हम समझते हैं कि महिलाओं ने दबाव झेल कर, संघर्ष और तमाम कुरबानियों की तुलना में कुछ हासिल नहीं किया जो उन्हें समाज में ख़ुद की बराबर की हैसियत स्वीकृत करवाने के लिए देनी पड़ती हैं।

कान्ति साप्ताहिक और कान्ति मासिक के सभी पाठक

कृपया ध्यान दें!

अपना पूरा नाम : .....

पता : .....

पोस्ट ऑफिस : .....

डिस्ट्रिक्ट : .....स्टेट : .....पिन : .....

कांटेक्ट नंबर : .....

नीचे दिए गए व्हाट्सऐप नम्बर पर भेजने की मेहरबानी करें।

धन्यवाद!

व्हाट्सऐप नंबर : 98187 99223

नोट : अपना कांटेक्ट नंबर लिखना न भूलें।

या महिला हमेशा पुरुषों से तुलना करने लगती है और यह साबित करने की कोशिश में लगी रहती है कि वह आस-पास के पुरुषों के बराबर है। महिला की अलग शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं कमज़ोरी समझी जाती हैं, जिन्हें एक मज़बूत महिला के लिए ठीक नहीं समझा जाता। रोना, रिश्तेदारों के लिए अतिरिक्त चिंता, देख-भाल और प्रेम की अभिव्यक्ति को कमज़ोरी के तौर पर देखा जाता है।

विडम्बना यह है कि इन तमाम नारों ने महिलाओं को घरेलू काम-काज, बच्चों की परवरिश और शिक्षा के साथ-साथ बूढ़ों की देख-भाल से भी आज़ाद नहीं किया, बल्कि ख़ानदान के लिए कमा कर पुरुषों के बराबर साबित होने का बोझ डाल दिया।

पुरुषों के साथ चूहे-बिल्ली की दौड़ में महिला को अपनी सारी ख़ुशियों को क़ुर्बान या सीमित करना पड़ता है। बच्चे को जन्म देना, दूध पिलाना और उसकी देख-भाल किसी भी महिला के लिए सबसे बड़ी ख़ुशी होती है। इस काम को करते हुए बराबरी साबित करने के लिए उसे क़ुर्बानी देनी पड़ती है। बहुत-सी लड़कियां सिर्फ़ इसलिए शादी में देर करती हैं कि वे डरती हैं कि इससे उनके करियर पर-असर पड़ेगा और उन्हें अपने काम की जगह में पुरुषों से पीछे रहना पड़ेगा। वजह बराबरी के नारे हैं।

पुरानी परम्पराओं और नज़रियों को कथित आधुनिक या लिबरल नज़रिये से बदलने से महिलाओं को फ़ायदे से ज़्यादा नुक़सान हुआ है। एक महिला अपने जीवन में सच्ची ख़ुशी और आनंद हासिल कर सकती है और समाज के लिए उसी समय उपयोगी हो सकती है जब उसे महिला स्वीकार किया जाए और उसके नारीत्व को मर्दानगी से कमतर न समझा जाए। लिहाज़ा महिला के लिए उसके स्वभाव और ज़रूरतों के मुताबिक़ हर विभाग, स्कूल, कॉलेज, बाज़ार, दफ़्तर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, संसद, विधानमंडलों और पंचायतों में ऐसे नियम और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जहां महिलाएं अपनी पहचान या औरतपन को खोए बिना या बहुत ज़्यादा दबाव के बिना आराम से अपना मक़ाम हासिल कर सकें। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि महिलाओं के स्वाभाविक गुणों से क्यों छुटकारा हासिल किया जाए? और इन्साफ़ के साथ बरताव करने के लिए महिलाओं का पुरुषों जैसा ही होना क्यों ज़रूरी है?

महत्वपूर्ण सवाल यह है कि महिलाएं अपने स्वाभाविक गुणों से छुटकारा क्यों हासिल करें? और समानता के लिए महिलाओं का पुरुषों जैसा ही होना क्यों ज़रूरी है? हां, अब समय आ गया है कि हम समानता के इन नारों के ख़तरे को समझें। हमें वह सब



मिलना चाहिए जिसके हम हक़दार हैं। अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०)ने सिखाया, इन्सानियत माओं की हैसियत में महिलाएं की ज़्यादा क़र्ज़दार है। मां की जगह कोई नहीं ले सकता। आइए नारीत्व और नारी स्वभाव का जश्न मनाएं।

हां, अब समय आ गया है कि हम समानता के इन नारों के ख़तरे को समझें। हमें वह सब मिलना चाहिए जिसके हम हक़दार हैं। अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने सिखाया, इन्सानियत माओं की हैसियत में महिलाएं की ज़्यादा क़र्ज़दार है। मां की जगह कोई नहीं ले सकता। आइए नारीत्व और नारी स्वभाव का जश्न मनाएं। ■■

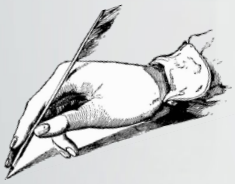

कविता

जन्मकथा

अशोक वाजपेयी

तुम्हारी आंखों में नई आंखों के छोटे-छोटे दृश्य हैं,

तुम्हारे कंधों पर नए कंधों का
हल्का-सा-दबाव है—

तुम्हारे होंठों पर नई बोली की पहली चुप्पी है
और तुम्हारी उंगलियों के पास कुछ नए स्पर्श हैं

मां, मेरी मां,
तुम कितनी बार स्वयं से ही उग आती हो

और मां, मेरी जन्मकथा कितनी ताज़ी
और अभी-अभी की है!

सुधार की आड़ में सामाजिक विभाजन का एक और क़दम

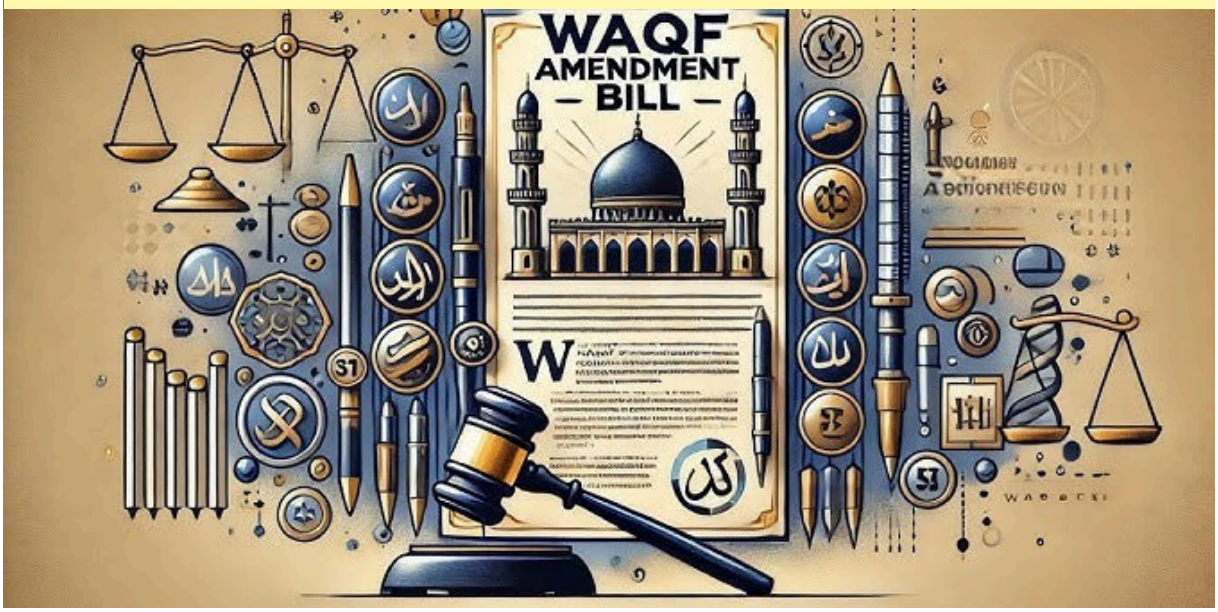

समसामयिक



डॉ. प्रदीप कुमार

इस समय वक़्फ़ संशोधन बिल को लेकर देश की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। मुस्लिम नेता, धार्मिक संगठन और आम मुस्लिम जनता इसे संदेह की दृष्टि से देख रही है। जबकि सरकार ने संशोधन विधेयक को वक़्फ़ संपत्तियों के रख-रखाव में लापरवाही, जवाबदेही का अभाव, भ्रष्टाचार के साथ ही संपत्तियों को लेकर विभिन्न राज्यों में चल रहे आंतरिक विवादों को दूर करने की क़वायद बताया है।

उल्लेखनीय है कि अल्लाह (ईश्वर) के लिए कोई संपत्ति दान करने को वक़्फ़ कहते हैं। वक़्फ़ संपत्ति का स्वामी अल्लाह होता है, जिसे न फिर रद्द किया जा सकता, न स्थानांतरित और न बेचा जा सकता है। मतलब एक बार घोषित कर दिया तो वह संपत्ति हमेशा के लिए वक़्फ़ हो गई। इसका पूरी तरह से इस्तेमाल लोगों के कल्याण के लिए होता है। धार्मिक कार्य-मस्जिद, ख़ानकाह, मदरसा जैसे कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके प्रबंधन की पूरी एक प्रणाली है।

भारत में वक़्फ़ क़ानून स्वाधीनता पूर्व से है। वर्ष 1913 में वक़्फ़ क़ानून आया। स्वाधीनता के बाद 1954 में भी वक़्फ़ क़ानून बना था। वर्ष 1984 में उसमें सुधार हुआ, फिर 1995, 1997 और 2013 में। इस तरह ज़रूरत और आवश्यकता के अनुसार क़ानून में संशोधन होते रहे हैं, लेकिन इस बार इस संशोधन बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा-ए-हिंद, जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द जैसे मुस्लिम संगठनों और विपक्षी राजनीतिक दलों ने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

मुस्लिम बौद्धिक वर्ग के एक हिस्से का यह भी मानना है कि सरकार इस बिल के बहाने देश में ऐसा आख्यान

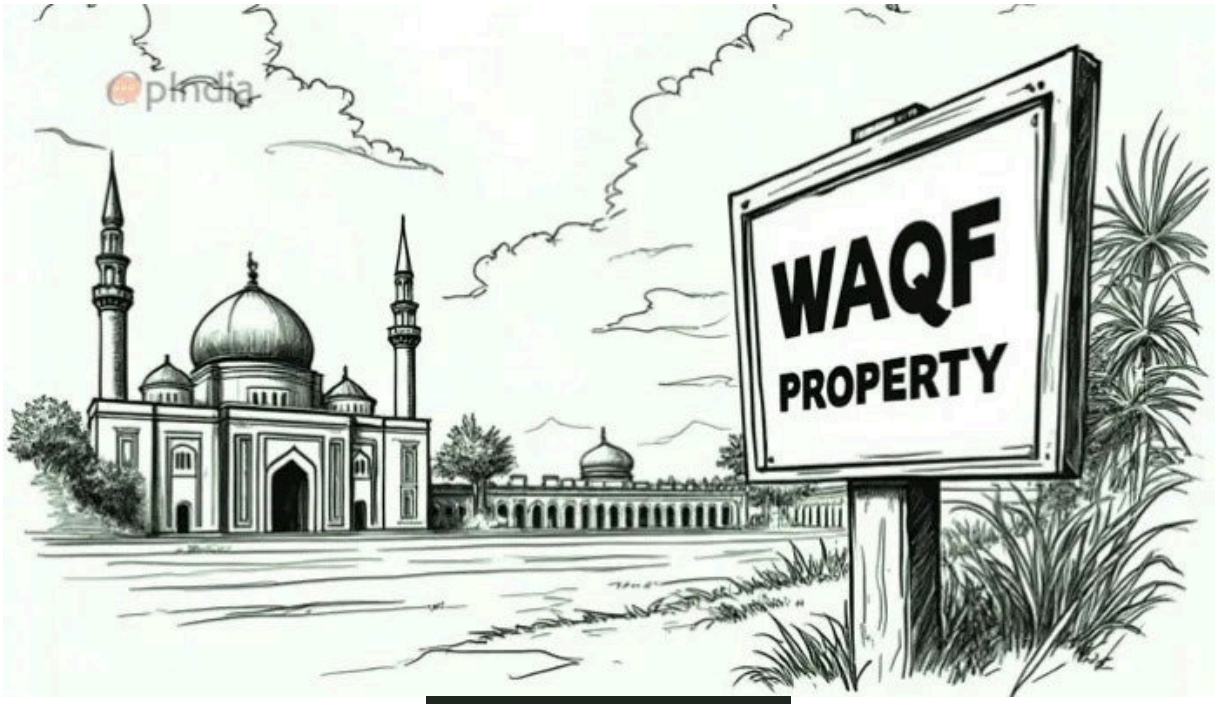

निर्मित करने का प्रयास कर रही है, जैसे मुसलमान देश के एक बहुत बड़े भूभाग पर अवैध क़ब्ज़ा करके बैठे हैं और इस भू-भाग को उनके क़ब्ज़े से मुक्त किया जाना देश की बहुसंख्यक जनता के हित में नितांत आवश्यक है। इस बड़े भू-भाग पर बरक़रार मुसलमानों के अवैध क़ब्ज़े के कारण ही बहुसंख्यक समाज के समक्ष तमाम समस्याएं व्याप्त हैं। उनका यह मानना निराधार भी नहीं है, क्योंकि इस समय हम मीडिया और सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर ऐसे ही आख्यानों को निर्मित होते हुए देख रहे हैं।

शायद यही कारण है कि कांग्रेस सहित देश की प्रमुख विपक्षी पार्टियों द्वारा इस विधेयक को विभाजनकारी और सांप्रदायिक बताया जा रहा है। उनका कहना है कि यह विधेयक मुसलमानों के अधिकारों पर हमला है और इससे देश की राष्ट्रीय एकता को नुक़सान पहुंचेगा।

देश भर में वक़्फ़ के स्वामित्व वाली संपत्तियों में सुधार के नाम पर बनाए

भारत में वक़्फ़ क़ानून स्वाधीनता पूर्व से है। वर्ष 1913 में वक़्फ़ क़ानून आया। स्वाधीनता के बाद 1954 में भी वक़्फ़ क़ानून बना था। वर्ष 1984 में उसमें सुधार हुआ, फिर 1995, 1997 और 2013 में। इस तरह ज़रूरत और आवश्यकता के अनुसार क़ानून में संशोधन होते रहे हैं, लेकिन इस बार इस संशोधन बिल पर मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड, जमीयत उलेमा-ए-हिंद, जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द जैसे मुस्लिम संगठनों और विपक्षी राजनीतिक दलों ने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

गए इस विधेयक का वास्तविक उद्देश्य वक़्फ़ अधिनियम की मूल बुनियाद को कमज़ोर करना है, जिसका उद्देश्य धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए समर्पित संपत्तियों की रक्षा और संरक्षण करना है।

वक़्फ़ बिल में प्रत्येक प्रस्तावित संशोधन न सिर्फ़ मुस्लिम समुदाय के हितों के विरुद्ध है, बल्कि यह हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर भी आघात है। यह भारत के मूल विचार पर प्रहार करता है, एक ऐसा भारत जो विविधता, बहुलवाद और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के अपने मूल मूल्यों पर पनपता है।

हैरानी की बात नहीं है कि इसकी व्यापक रूप से आशंकाएं पैदा हो गई हैं कि इन संशोधनों के ज़रिए सरकार, वक़्फ़ की संपत्तियों को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। यह मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं की और इस लिहाज़ से मुस्लिम समुदाय की स्वायत्तता को

ही छीनने की कोशिश है। और अपने हिंदुत्ववादी बुनियादी समर्थन आधार को ठीक यही संदेश देना, इस विधेयक को लाने के पीछे मोदी सरकार का मक़सद है।

इस मक़सद का इससे स्पष्ट संकेत और क्या होगा कि नये क़ानून के तहत, अपनी संपत्ति वक़्फ़ करने के लिए तो संबंधित व्यक्ति के 'पांच साल से इस्लाम का पालन कर रहा होने' की शर्त लगाई गई है, जबकि केंद्रीय वक़्फ़ काउंसिल, राज्य वक़्फ़ बोर्ड तथा वक़्फ़ ट्रिब्यूनलों जैसी वक़्फ़ व्यवस्था की महत्वपूर्ण संस्थाओं में 'ग़ैर-मुसलमानों' को लाने के लिए दरवाज़े खोले जा रहे हैं।

हैरानी की बात नहीं है कि विपक्ष ही नहीं, जदयू तथा तेदेपा जैसी भाजपा की सहयोगी पार्टियां भी इस पर असुविधा महसूस कर रही हैं, हालांकि उनसे ऐसे किसी सैद्धांतिक मुद्दे पर सरकार की गाड़ी पलटने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। फिर भी, इस वजह से भी मोदी सरकार ने वक़्फ़ विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के लिए भेजना मंज़ूर किया है। यह दूसरी बात है कि लोकसभा में विधेयक लाने के ज़रिए, उसने अपने मूल समर्थन आधार को यह संदेश तो दे ही दिया है कि मुसलमानों को कोने में धकियाने की मुहिम मोदी-3 में भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी।

सैकड़ों साल पहले वक़्फ़ की संपत्तियों में विहित किए गए अधिकारों को एक निष्पक्ष न्यायिक निर्धारण के बिना कार्यपालिका के अधिकारी हाथ में नहीं ले सकते हैं। वक़्फ़ संशोधन बिल को लेकर केंद्र सरकार को सतर्कता बरतनी चाहिए। उनका सुझाव था कि वक़्फ़ बिल के संशोधन वही किए जाएं जो सही हों और जिन पर सबकी सहमति हो। ज़िलाधिकारी (डीएम) के हाथों में सारी पॉवर देना उचित नहीं होगा।

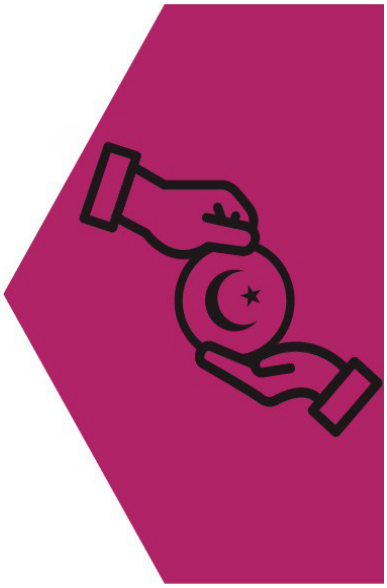

प्रसिद्ध विधिवेत्ता तथा क़ानून के शिक्षक, फ़ैज़ान मुस्तफ़ा अकारण ही नहीं कहते हैं कि, ''सैकड़ों साल पहले वक़्फ़ की संपत्तियों में विहित किए गए अधिकारों को एक निष्पक्ष न्यायिक निर्धारण के बिना कार्यपालिका के अधिकारी हाथ में नहीं ले सकते हैं।''

उल्लेखनीय है कि वक़्फ़ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान, फ़ैज़ान मुस्तफ़ा ने वक़्फ़ बाय यूज़र और वक़्फ़ ट्रिब्यूनल का समर्थन किया था। उनका कहना था कि वक़्फ़ संशोधन बिल को लेकर केंद्र सरकार को सतर्कता बरतनी चाहिए। उनका सुझाव था कि वक़्फ़ बिल के संशोधन वही किए जाएं जो सही हों और जिन पर सबकी सहमति हो। ज़िलाधिकारी (डीएम) के हाथों में सारी पॉवर देना उचित नहीं होगा। ■■

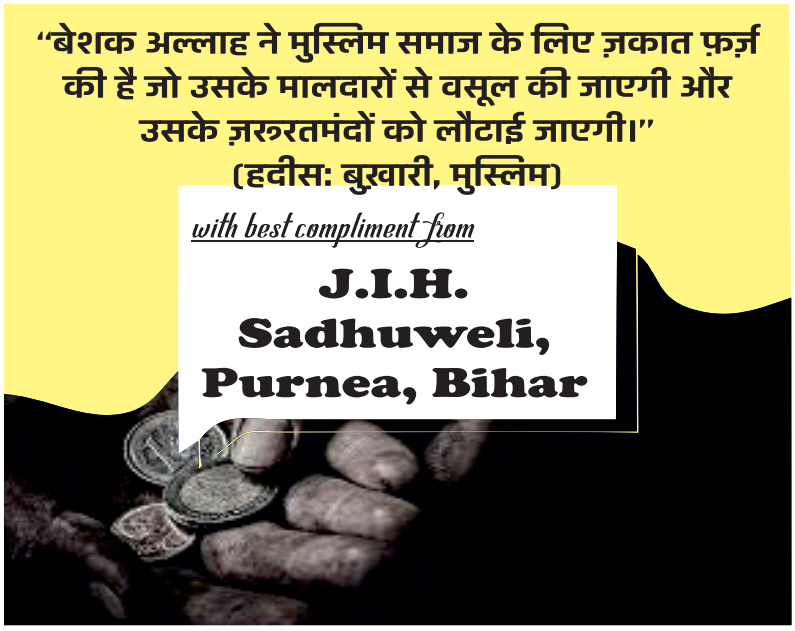

“जब तुमने अपने माल की (फ़र्ज़) ज़कात अदा कर दी तो तुम अल्लाह के हक़ से बरी हो गए। हां, जिसने हराम माल जमा किया और उसे अल्लाह की राह में ख़र्च किया तो उस पर उसे कोई बदला नहीं मिलेगा, बल्कि उलटे गुनाह होगा।”

(सहीह इब्ने-ख़ुज़ैमा व इब्ने-हिब्बान)

with best compliment from

Shoeb Alam

West Champaran, Bihar

संघीय बजट-2025

स्वास्थ्य एवं रोज़गार की अनदेखी क्यों ?



मंथन



जितेंद्र गौतम

बजट में मध्यम वर्ग के लिए सुविधाओं के कोलाहल में यह बात नज़रअंदाज़ हो गई है कि बजट कि इस बजट में रोज़गार और स्वास्थ्य क्षेत्र की अनदेखी की गई है। सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में 2 करोड़ रोज़गार सालाना देने का वादा किया था, यह इसलिए पूरा नहीं किया गया क्योंकि युवा उसकी प्राथमिकता में नहीं हैं।ठीक यही बात स्वास्थ्य के मामले में भी देखने को मिलती है।

इस साल का संघीय बजट मध्यम वर्ग के लिए महान उपहार है, ऐसा कहकर मीडिया के एक हिस्से द्वारा इसका ख़ूब महिमामंडन किया गया। निस्संदेह बजट देश के 55 करोड़ मध्यम वर्ग के लिए सुखद है, परंतु अगर हम राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सोचें तो यह बजट चिंताजनक और कठिन भविष्य का संकेत देता है। बजट में मध्यम वर्ग के लिए सुविधाओं के कोलाहल में यह बात नज़रअंदाज़ हो गई है कि इस बजट में रोज़गार और स्वास्थ्य क्षेत्र की अनदेखी की गई है।

मध्यम वर्ग को छोड़ देश की बाक़ी जनता ठग ली गई। बजट में रोज़गार, महंगाई कम करने, आर्थिक असमानता हटाने के लिए कुछ नहीं है। इस सरकार की प्राथमिकता न रोज़गार है और न ही महंगाई। बजट बड़े-बड़े करोड़पति और सरकार के चंद अफ़सरों के लिए अच्छा है। बजट में हमें वो ताक़त और संकल्प नहीं दिखाई दे रहा, जो 1991 और 2004 के बजट में था। बजट में युवा, ग़रीब, किसानों और छोटे उद्योगों, सभी को नज़रअंदाज़ किया गया है। ये मुद्दे वे हैं, जिनसे देश के हर सामान्य नागरिक को फ़र्क़ पड़ता है, लेकिन बजट में इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया।

वास्तविकता यह है कि आज देश में करोड़ों युवा बेरोज़गार हैं और बेरोज़गारी चरम पर है, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) का कहना है कि भारतीय ग्रेजुएट्स युवाओं में बेरोज़गारी सबसे बड़ी समस्या है, और यह लगातार बढ़ रही है। पीरियोडिक लेबर फ़ोर्स सर्वे (पीएलएफ़एस) का कहना है कि डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पीजी या उससे भी ज़्यादा पढ़ाई करने वालों में बेरोज़गारी दर 125 प्रतिशत से भी ज़्यादा है। सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में 2 करोड़ रोज़गार सालाना देने का वादा किया था, यह इसलिए पूरा नहीं किया गया क्योंकि युवा उसकी प्राथमिकता में नहीं हैं।

ठीक यही बात स्वास्थ्य के मामले

में भी देखने को मिलती है। निस्संदेह इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा है, लेकिन यह अभी भी नाकाफ़ी है। वर्ष 2017 से लागू राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में सिफ़ारिश की गई है कि स्वास्थ्य पर जीडीपी का 2.50 प्रतिशत तो व्यय होना ही चाहिए। जानकारों का मानना है कि स्वास्थ्य आवंटन कुल बजट के 2 प्रतिशत पर 'स्थिर' बना हुआ है और मुद्रास्फीति को देखते हुए बढ़ाया गया आवंटन पर्याप्त नहीं कहा जा सकता।

राजनीति के जानकारों का यह भी कहना है कि बजट में मिडिल क्लास पर जो इतना फोकस किया गया, वह दिल्ली चुनावों के मद्देनज़र किया गया। इससे ग़रीब मरीज़ों की अनदेखी हो सकती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों में खड़ी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर ख़र्च को हमेशा से सभी जनपक्षधर अर्थशास्त्री अच्छी अर्थव्यवस्था, रोज़गार एवं राष्ट्र निर्माण में निवेश के तौर पर देखते रहे हैं। इसीलिए लंबे समय से यह मांग होती रही है कि शिक्षा पर जीडीपी का कम से कम 6 फ़ीसदी और स्वास्थ्य पर 3 फ़ीसदी ख़र्च किया जाना चाहिए।

हमें यह समझना होगा कि आख़िर रोज़गार पैदा करने वाले इतने सारे सेक्टरों पर और भारत की श्रमशील जनता व सामाजिक अन्याय झेल रहे तबक़ों पर ख़र्च करने के लिए सरकार तैयार क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है कि 12 लाख सालाना कमाने वाले, जो एक हद तक सक्षम लोग हैं, को टैक्स में छूट देने के लिए और उन पर लगभग 1 लाख करोड़ तक ख़र्च करने के लिए तो सरकार तैयार है, लेकिन कृषि क्षेत्र, मनरेगा, ग्रामीण विकास और शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे रोज़गार व मांग पैदा करने वाले सेक्टर का बजट बढ़ाने के बजाय उसमें कटौती करने पर आमादा है।

जनकारों के अनुसार, इस संदर्भ में दो प्रमुख बड़ी वजहें हैं, जिसे हमें समझना होगा। एक तो यह कि इस सरकार ने अपने हाथ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से बांध रखे हैं, जिसके चलते उसे नवउदारवादी दायरे में रहते हुए और मंदी से निपटने के लिए उसी के बताए रास्ते पर चलना पड़ रहा है। अतः बार-बार सरकार को सप्लाई साइड को ही मदद करनी पड़ती है।

इसीलिए हमने देखा कि कोरोना काल में भी बड़ा पैकेज कारपोरेट को ही दिया गया, बीते दिनों कारपोरेट टैक्स को भी माफ़ किया गया, और इसी समझ के तहत हर साल कारपोरेट लोन को भी माफ़ कर दिया जाता है। यह सब

वर्ष 2017 से लागू राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में सिफारिश की गई है कि स्वास्थ्य पर जीड़ीपी का 2.50 प्रतिशत तो व्यय होना ही चाहिए। जानकारों का मानना है कि स्वास्थ्य आवंटन कुल बजट के 2 प्रतिशत पर 'स्थिर' बना हुआ है और मुद्रास्फीति को देखते हुए बढ़ाया गया आवंटन पर्याप्त नहीं कहा जा सकता।

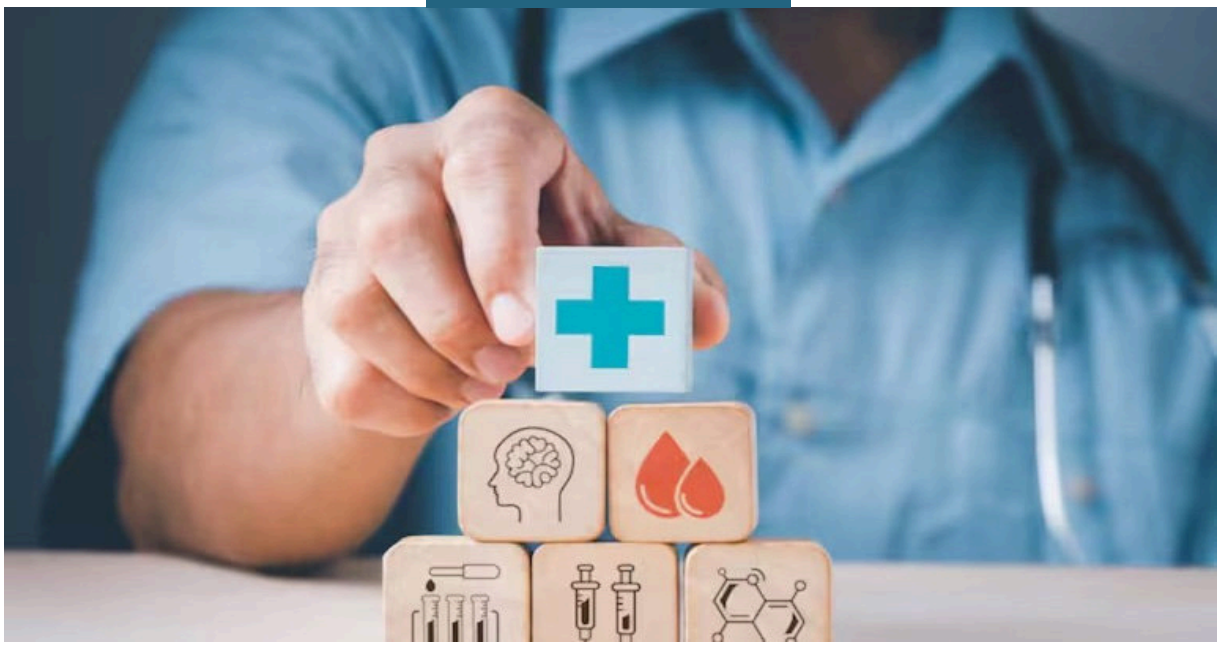

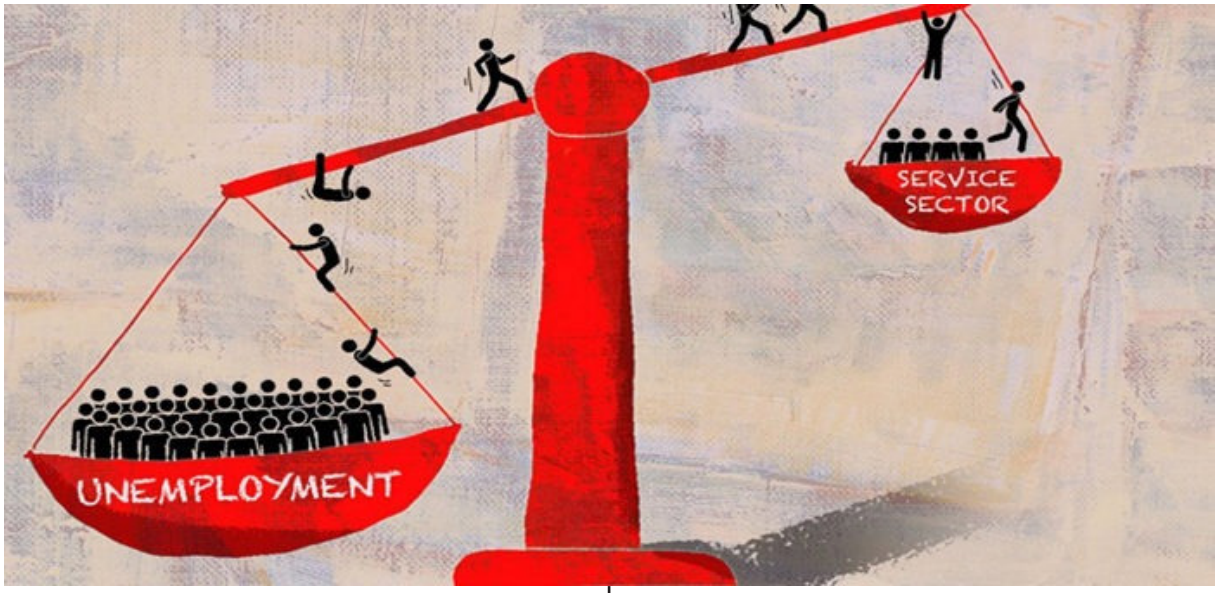

इसलिए किया जाता है कि वे बाज़ार में निवेश करेंगे, मांग बढ़ेगी, मंदी से मुक्ति मिलेगी, अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, पर ऐसा होता नहीं, वे बाज़ार में निवेश ही नहीं करते, बल्कि अपना बैलेंस शीट ठीक करने में लग जाते हैं, और वो ऐसा बार-बार करते हैं, हर बड़े पैकेज का यही अंजाम होता है।

जानकारों का मानना है कि ठीक इसके विपरीत अगर ये सारे पैकेज दलित, पिछड़ा-आदिवासी, अल्पसंख्यक, मज़दूर किसानों आदि के हिस्से में जाता तो यह हिस्सा बचत करने की स्थिति में नहीं होता है, सारा पैसा बाज़ार में जाता और अर्थव्यवस्था को गति मिलती, लेकिन ऐसा न कर इस बार भी बजट में डिमांड साइड की उपेक्षा की गई। इसलिए ग्रामीण विकास हो या मनरेगा हो, कृषि, शिक्षा या स्वास्थ्य हो सब में कटौती कर दी गई है। यही पैसा उच्च मध्य वर्ग को दे दिया गया है और यह उम्मीद की गयी है कि इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। जबकि सच्चाई ये है कि यह हिस्सा पहले से ही बाज़ार में पैसा ख़र्च कर रहा है, अब वह इस पैसे का इस्तेमाल अपने लोन चुकाने में अपने ईएमआई चुकाने में लगा देगा।

“शिक्षा व एवं स्वास्थ्य पर खर्च को हमेशा से सभी जनपक्षधर अर्थशास्त्री अच्छी अर्थव्यवस्था, रोज़गार एवं राष्ट्र निर्माण में निवेश के तौर पर देखते रहे हैं। इसीलिए लंबे समय से यह मांग होती रही है कि शिक्षा पर जीडीपी का कम से कम 6 फ़ीसदी और स्वास्थ्य पर 3 फ़ीसदी ख़र्च किया जाना चाहिए।”

राजनीति के पंडितों का यह भी मानना है कि उच्च मध्य वर्ग को टैक्स में दी गई छूट के पीछे की बड़ी वजह भाजपा का एक राजनीतिक डर भी है।

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में लगे झटके से भाजपा अभी भी उबर नहीं पा रही है। उस समय सामाजिक न्याय एवं संविधान एक बड़ा प्रश्न बन गया था। सेकुलर व सामाजिक न्याय समर्थक शक्तियों ने हिंदुत्व को नकार दिया था।

भाजपा इस झटके से उबरने की कोशिश में लगी ही थी कि एक और चिंता उसे सताने लगी है, मध्य वर्ग जो उसका मूल वोटर रहा है, उसके अंदर भी निराशा बढ़ती जा रही है, केवल हिंदुत्व के बल उसे अपने साथ टिकाए रखना भाजपा के लिए मुश्किल होता जा रहा है। टैक्स में छूट देकर दरअस्ल, इसी राजनीतिक संकट से उपबने का प्रयास किया गया है। यह कोशिश कितनी सफल होगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा, किंतु इतना तो तय है कि मौजूदा बजट से देश की अर्थव्यवस्था के समक्ष और कठिनाइयां पैदा होंगी। ■■

(महिला दिवस पर विशेष)

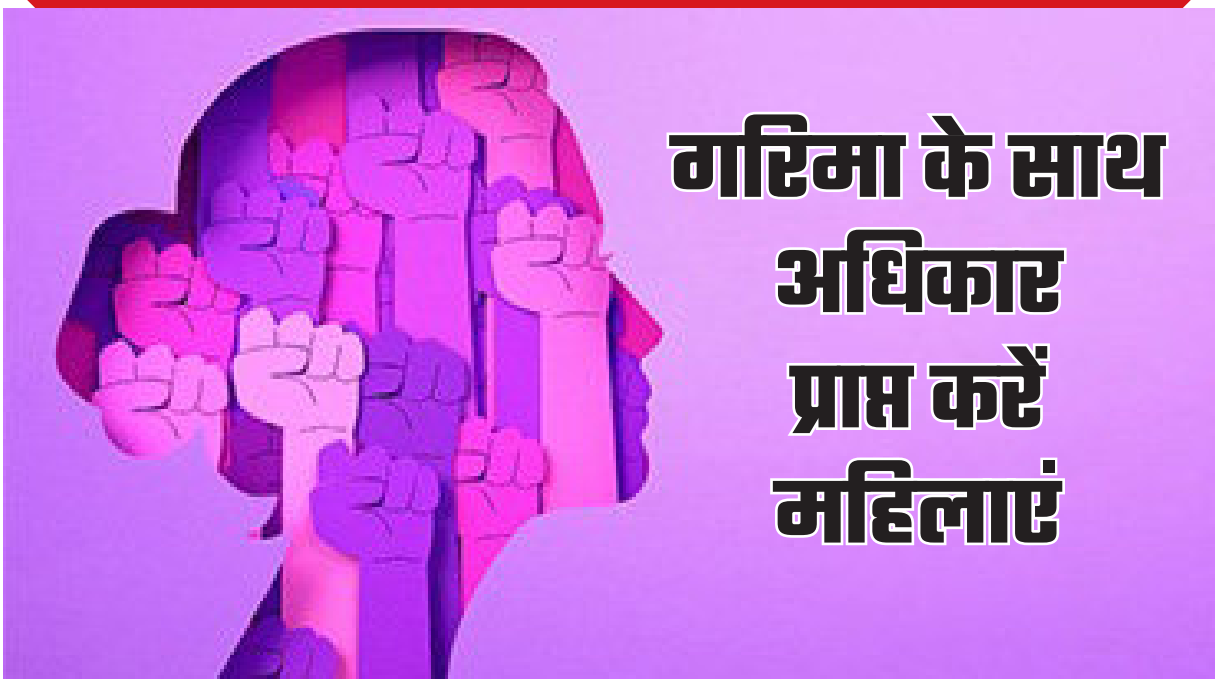

गरिमा के साथ अधिकार प्राप्त करें महिलाएं

इतिहास में एक लंबे समय से नारी पर अत्याचार होता आ रहा है। हर क़ौम और हर क्षेत्र में नारी उत्पीड़ित थी। यूनान में, रूस में, मिस्र में, इराक़ में, भारत में, चीन में, अरब में, हर जगह उस पर ज़ुल्म व अत्याचार हो रहा था। बाज़ारों और मेलों में उसका क्रय-विक्रय होता था। जानवरों से बदतर उसके साथ सुलूक किया जाता था। यूनान में एक लंबे समय तक यह बहस जारी रही कि उसके अन्दर आत्मा है भी या नहीं। अरब वाले तो उसके अस्तित्व ही को अपमान समझते थे। कुछ कठोर हृदय लोग अपनी बेटियों को ज़िन्दा धरती में गाड़ देते थे। भारत में पति की चिता पर उसकी विधवा जलकर भस्म हो जाती थी। निवृत्तिवादी धर्म उसे अपराध का स्रोत, पाप का द्वार और पाप का प्रतिरूप समझते थे। उसके साथ सम्बन्ध रखने को आध्यात्मिक उत्थान के मार्ग में अवरोध समझा जाता था।

दुनिया की अधिकांश सभ्यताओं में उसे समाज में कोई स्थान प्राप्त न था। वह उपेक्षणीय और अधम समझी जाती थी। उसे आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त न थे। वह स्वेच्छापूर्वक

विशेष



मक़बूल अहमद फ़लाही

लेन-देन और कोई आर्थिक हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। वह शादी से पहले बाप के, फिर पति के और उसके बाद अपने पुत्र के अधीन थी। उनके प्रभुत्व को चुनौती देने की उसे अनुमति न थी। उनके द्वारा की गई नृशंसता और अत्याचार पर उसकी कहीं सुनवाई न थी। उसे फ़रयाद और आपत्ति करने का भी अधिकार प्राप्त न था।

इस्लाम ने औरत को ज़ुल्म व अत्याचार के खड्डे से निकाला। उसके साथ इन्साफ़ किया, उसे सारे मानवीय अधिकार दिए, इज़्ज़त व श्रेष्ठता प्रदान की और समाज को उसका सम्मान करना सिखाया और औरत की मज़लूमी व महकूमी (दासता) के ख़िलाफ़ ऐसी आवाज़ बुलन्द की कि सारी दुनिया इससे गूंज उठी। आज उसी का प्रभाव है कि किसी में यह साहस नहीं कि उसकी पिछली (दासता की) हैसियत को सही और यथार्थपरक कह सके। क़ुरआन ने पूरी शक्ति से कहा–

''ऐ लोगो! अपने रब से डरो, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, और उससे उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत-से मर्द और औरतें फैला दीं, और अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक-दूसरे से अपने हक़

मांगते हो, और रिश्तों का सम्मान करो। निस्संदेह अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है।'' (क़ुरआन 4:1)

यह इस बात की घोषणा थी कि एक इन्सान और दूसरे इन्सान के बीच जो झूठे भेदभाव दुनिया में पैदा कर दिए गए हैं वे सब सत्य के प्रतिकूल, निराधार और निर्मूल हैं। सम्पूर्ण मानव जाति एक ही जान से पैदा हुई है। सबकी बुनियाद एक है। पैदाइशी तौर पर न कोई श्रेष्ठ है, न हीन, न कोई ऊंची जाति का है और न कोई नीची जाति का। सभी बराबर और समान अधिकार रखते हैं। इस्लाम ने प्रत्येक दृष्टि से उसे बड़ा ऊंचा मक़ाम प्रदान किया है।



इस्लाम ख़ुदा और रसूल के बाद सबसे ऊंचा दर्जा मां को देते हैं। मां और बाप दोनों के साथ सद्व्यवहार करने और उनके आज्ञानुपालन का आदेश देता है। अतएव क़ुरआन में कहा गया है–''और हमने मनुष्य को अपने मां-बाप का हक़ पहचानने की ताकीद की है। उसकी मां ने सख़्ती पर सख़्ती झेलकर उसे अपने पेट में रखा और दो वर्ष में उसका दूध छूटा। हमने आदेश दिया कि मेरे कृतज्ञ बनो और अपने मां-बाप के भी कृतज्ञ बनो। अन्ततः मेरी ही ओर तुम्हें पलटना है।'' (क़ुरआन, 31:14)

इस्लाम में औरत का स्थाई अस्तित्व स्वीकार किया गया है। विवाह (निकाह) की वजह से न तो उसका व्यक्तित्व पति के व्यक्तित्व में गुम हो जाता है और न वह उसकी दासी होती है। पत्नी के बारे में क़ुरआन कहता है–

''अल्लाह की (बहुत-सी) निशानियों में से एक यह भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही नस्ल से जोड़े बनाए, ताकि तुम उनके पास आराम और शान्ति पा सको, और तुम्हारे बीच प्रेम और दयालुता पैदा कर दी। निस्संदेह इसमें बहुत-सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सोच-विचार करते हैं।''

(क़ुरआन, 30:21)

एक दूसरे स्थान पर अल्लाह फ़रमाता है–

''मर्द औरतों के सरपरस्त (संरक्षक) और निगरां हैं, इस कारण कि अल्लाह ने एक को दूसरे पर श्रेष्ठता दी है और इस कारण भी कि मर्द अपने माल (धन) ख़र्च करते हैं। अतः जो नेक स्त्रियां होती हैं, वे आज्ञापालन करने वाली और मर्दों के पीछे (अनुपस्थिति में) छिपे की अल्लाह के संरक्षण में रक्षा करने वाली हैं।'' (क़ुरआन, 4:34)

कभी-कभी आदमी को एक चीज़ नापसन्द होती हैं, लेकिन उसमें भलाई के अनगिनत पहलू होते हैं। औरतों के सम्बन्ध में क़ुरआन कहता है–

यूनान में एक लंबे समय तक यह बहस जारी रही कि उसके अन्दर आत्मा है भी या नहीं। अरब वाले तो उसके अस्तित्व ही को अपमान समझते थे। कुछ कठोर हृदय लोग अपनी बेटियों को ज़िन्दा धरती में गाड़ देते थे। भारत में पति की चिता पर उसकी विधवा जलकर भस्म हो जाती थी। निवृत्तिवादी धर्म उसे अपराध का स्रोत, पाप का द्वार और पाप का प्रतिरूप समझते थे। उसके साथ सम्बन्ध रखने को आध्यात्मिक उत्थान के मार्ग में अवरोध समझा जाता था।

''उनके साथ भले तरीक़े से जीवन-यापन करो। अगर तुम उनको नापसन्द करते हो तो हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें नापसन्द हो और अल्लाह ने उसमें बहुत-सी भलाई रख दी हो।''

(क़ुरआन, 4:19)

अज्ञानकाल (अर्थात् इस्लाम से पूर्वकाल) में अरबवासी लड़कों को गर्व का साधन और श्रेष्ठ पूंजी समझते थे, लेकिन लड़कियां उनके लिए बोझ थीं। उनको वे लज्जा का कारण समझते थे और उनकी चर्चा ही से उनका सिर शर्म से झुक जाता था। बल्कि कुछ कठोर हृदय बाप अपने हाथों अपनी मासूम लड़कियों को ज़िन्दा ज़मीन में दफ़न कर देते थे। क़ुरआन ने कहा–

''अल्लाह ही के लिए आसमान व ज़मीन की बादशाहत है। वह जो चाहता है पैदा करता है। जिसे चाहता है लड़कियां देता है और जिसे चाहता है, लड़के प्रदान करता है। या लड़के और लड़कियां दोनों देता है। और जिसे चाहता है बांझ बना देता है। निस्संदेह वह ज्ञानवान और सामर्थ्यवान है।''

(क़ुरआन, 42:49-50)

इस्लाम ने स्त्रियों के संवैधानिक अधिकार भी सुरक्षित किए हैं और नैतिक रूप से भी उसे उच्च सम्मान व प्रतिष्ठा प्रदान किया है।

अगर इस्लामी शिक्षाओं का जाएज़ा लिया जाए तो स्पष्ट रूप से एक औरत के निम्नलिखित अधिकार बनते हैं–

1. एक औरत को समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्राप्त है। क़ुरआन कहता है–

''उस घड़ी को याद करो जबकि उस लड़की से पूछा जाएगा जिसे दफ़न किया गया था कि वह किस अपराध में मार डाली गई थी?'' (क़ुरआन, 81:9)

इस्लाम ने औरत को ज़ुल्म व अत्याचार के खड्ड से निकाला। उसके साथ इन्साफ़ किया, उसे सारे मानवीय अधिकार दिए, इज़्ज़त व श्रेश्ठता प्रदान की और समाज को उसका सम्मान करना सिखया और औरत की मज़लूमी व महकूमी (दासता) के ख़िलाफ़ ऐसी आवाज़ बुलन्द की सारी दुनिया इससे गूंज उठी। आज उसी का प्रभाव हैं कि किसी में यह साहस नही कि उसकी पिछली (दासता की) हैसियत को सही और यथार्थपरक कह सके।



2. इस्लाम के निकट प्रत्येक बच्चा यह नैतिक और वैधानिक अधिकार लेकर जन्म लेता है कि उसके जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएं और लापरवाही से उसे मौत के मुंह में न जाने दिया जाए। पवित्र क़ुरआन का आदेश है–

''बच्चा जिसका है (यानी बाप का) उस पर दूध पिलाने वाली का खाना और कपड़ा देना सामान्य नियम के अनुसार अनिवार्य है।''

(क़ुरआन, 2:233)

3.इस्लाम ने शिक्षा का अधिकार मर्द और औरत दोनों के लिए न सिर्फ़ स्वीकार किया है, बल्कि लड़कियों की शिक्षा-दीक्षा पर विशेष ध्यान दिया और लड़कियों के लालन-पालन और उनके शिक्षण-प्रशिक्षण और प्रसन्नतापूर्वक विवाह आदि करने वाले को जन्नत की शुभ-सूचना दी है।

4. इस्लाम ने निकाह के मामले में लड़की के वली और सरपरस्त (संरक्षक) को महत्व अवश्य दिया है, लेकिन इसके साथ यह भी कहा है कि निकाह उस लड़की की अनुमति से ही होगा।

■■



रोज़े और उसके उद्देश्य

प्रकाश स्तंभ



सैयद अबुल आला मौदूदी

रोज़े के नतीजे का दारोमदार तो आदमी की समझ-बूझ और उसके इरादे पर है। जो इसके मक़सद को समझेगा और इसके ज़रिये से अस्ल मक़सद को हासिल करने की कोशिश करेगा वह इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल कर सकेगा।

हर काम जो इन्सान करता है, उसमें दो चीज़ें ही हुआ करती हैं। एक चीज़ तो मक़सद है, जिसके लिए काम किया जाता है और दूसरी चीज़ उस काम की वह ख़ास शक्ल है जो इस मक़सद को हासिल करने के लिए अपनाई जाती है। मिसाल के तौर पर खाना खाने के काम को लीजिए। खाने से आपका मक़सद ज़िन्दा रहना और जिस्म की ताक़त को बहाल रखना है। इस मक़सद को हासिल करने की सूरत यह है कि आप निवाले बनाते हैं, मुंह में ले जाते हैं, दांतों से चबाते हैं और हलक़ से नीचे उतारते हैं। चूंकि इस मक़सद को हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद और सबसे बेहतरीन तरीक़ा यही हो सकता था, इसलिए आपने इसी को अपनाया, लेकिन आप में से हर आदमी जानता है कि अस्ल चीज़ वह मक़सद है, जिसके लिए खाना खाया जाता है, न कि खाने के काम की यह शक्ल।

अगर कोई आदमी लकड़ी का बुरादा या राख या मिट्टी लेकर निवाले बनाए और मुंह में ले जाए और दांतों से चबाकर हलक़ से नीचे उतार ले, तो आप उसे क्या कहेंगे? यही न कि उसका दिमाग़ ख़राब है। क्यों? इसलिए कि वह खाने के अस्ल मक़सद को नहीं समझता और इस भ्रम में फंसा हुआ है कि बस खाने के काम की इन चार ज़ाहिरी बातों को अदा कर देने ही का नाम खाना खाना है। इसी तरह आप उस आदमी को भी पागल ठहराएंगे जो रोटी खाने के बाद फ़ौरन ही हलक़ में उंगली डालकर उल्टी कर देता हो और फिर शिकायत करता हो कि रोटी खाने के जो फ़ायदे बयान किए जाते हैं, वे मुझे हासिल ही नहीं होते, बल्कि उल्टा मैं तो दिन प्रतिदिन दुबला होता जा रहा हूं और मर जाने की नौबत आ गई है।

यह मूर्ख अपनी इस कमज़ोरी का इल्ज़ाम रोटी और खाने पर रखता है। हालांकि बेवक़ूफ़ी उसकी अपनी है।

उसने अपनी नादानी से यह समझ लिया कि खाने के काम में ये जो चन्द ज़ाहिरी बातें हैं, बस इन्हीं को अदा कर देने ही से ज़िन्दगी की ताक़त हासिल हो जाती है। इसलिए उसने सोचा कि रोटी का बोझ अपने मेदे में क्यों रखे। क्यों न इसे निकाल फेंका जाए, ताकि पेट हल्का हो जाए। खाने के काम की ज़ाहिरी सूरत तो मैं अदा ही कर चुका हूं। यह बेवक़ूफ़ी का ख़याल जो उसने क़ायम किया और फिर उसकी पैरवी की, इसकी सज़ा भी तो आख़िर उसी को भुगतना चाहिए।

आपकी सबसे बड़ी ग़लती यही है कि आपने रोज़ों के बाहरी रूपों को ही अस्ल इबादत समझ रखा है और इस गुमान में फंस गये हैं कि जिसने इन्हें पूरा कर लिया उसने इबादत पूरी कर ली।

कर लिया उसने इबादत पूरी कर ली। आपकी मिसाल उस आदमी की-सी है जो खाने के चारों चरण यानी निवाले बनाना, मुंह में रखना, चबाना, हलक़ से नीचे उतार देना, बस इन्हीं चारों को खाना समझता है और यह ख़याल करता है कि जिसने ये चार अरकान अदा कर दिये, उसने खाना खा लिया और खाने के फ़ायदे उसको हासिल होने चाहिए, भले ही उसने मिट्टी और पत्थर अपने पेट में उतारे हों, या रोटी खाकर फ़ौरन उल्टी कर दी हो।



उसको जानना चाहिए था कि रोटी पेट में जाकर हज़म न हो और ख़ून बनकर सारे जिस्म में फैल न जाए, उस वक़्त तक ज़िन्दगी की ताक़त हासिल नहीं हो सकती। खाने के ज़ाहिरी काम भी यूं तो ज़रूरी हैं, क्योंकि इनके बिना रोटी मेदे तक नहीं पहुंच सकती, मगर सिर्फ़ इन ज़ाहिरी कामों के अदा कर देने से काम नहीं चल सकता। इन कामों में कोई जादू भरा हुआ नहीं है कि इन्हें अदा करने से बस जादुई तरीक़े से आदमी की रगों में ख़ून दौड़ने लगता हो। ख़ून पैदा करने के लिए तो ईश्वर (अल्लाह) ने जो क़ानून बनाया है, उसी के मुताबिक़ वह पैदा होगा। उसको तोड़ दोगे तो अपने आपको ख़ुद ही मौत के घाट उतारोगे।

आपकी सबसे बड़ी ग़लती यही है कि आपने रोज़ों के बाहरी रूपों को ही अस्ल इबादत समझ रखा है और इस गुमान में फंस गये हैं कि जिसने इन्हें पूरा

सवाल यह है कि जो रोज़ेदार सुबह से शाम तक अल्लाह की इबादत में मशग़ूल रहता है, वह ठीक इस इबादत की हालत में झूठ कैसे बोलता है? ग़ीबत किस तरह करता है? बात-बात पर लड़ता क्यों है? उसकी ज़ुबान से गालियां क्यों निकलती हैं? वह लोगों का हक़ कैसे मार खाता है? हराम खाने और खिलाने का काम किस तरह कर लेता है और फिर यह सब काम करके



भी यह कैसे समझता है कि मैंने ख़ुदा की इबादत की है? क्या उसकी मिसाल उस आदमी की-सी नहीं है, जो राख और मिट्टी खाता है और सिर्फ़ खाने के चार चरणों को पूरा कर देने को समझता है कि खाना इसी को कहते हैं।

हद यह है कि शहरों में तो ईद के दिन बदकारी और शराबनोशी तक होती है और कुछ ज़ालिम तो ऐसे हैं, जो रमज़ान के दिनों में दिन में रोज़ा रखते हैं और रात को शराब पीते हैं और व्यभिचार करते हैं। आम मुसलमान ख़ुदा के फ़ज़्ल से इतने बिगड़े हुए तो नहीं, मगर रमज़ान ख़त्म होने के बाद आप में से कितने ऐसे हैं जिनके अन्दर ईद के दूसरे दिन भी तक़वा (ईशपरायणता) और परहेज़गारी (संयम) का कोई असर बाक़ी रहता हो? नेक कामों में कितना हिस्सा लिया जाता है? सोचिए और ग़ौर कीजिए कि इसकी वजह आख़िर क्या है?

यक़ीनन यह कहा जा सकता है कि इसकी वजह सिर्फ़ यह है कि आपके दिमाग़ में इबादत (उपासना) का अर्थ ही ग़लत हो गया है। आप यह नहीं जानते कि यह भूखा-प्यासा रहना अस्ल इबादत नहीं, बल्कि इबादत की सूरत है और यह सूरत तय करने का मक़सद यह है कि आपके अन्दर ईश्वर का भय और उसकी मुहब्बत पैदा हो जाए।

यही वजह है कि क़ुरआन में रोज़े का आदेश देने के बाद कहा गया है–

''ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए रोज़े अनिवार्य कर दिए गए, जिस तरह तुमसे पहले नबियों के अनुयायियों पर अनिवार्य किए गए थे। इससे उम्मीद है कि तुममें परहेज़गारी का गुण पैदा होगा।'' (क़ुरआन, 2:183)

यह नहीं कहा गया है कि इससे ज़रूर परहेज़गार या संयमी बन जाओगे। इसलिए कि रोज़े के नतीजे का दारोमदार तो आदमी की समझ-बूझ और उसके इरादे पर है। जो इसके मक़सद को समझेगा और इसके ज़रिये से अस्ल मक़सद को हासिल करने की कोशिश करेगा वह इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल कर सकेगा। ■■

“आप यह नहीं जानते कि यह भूखा-प्यासा रहना अस्ल इबादत नहीं, बल्कि इबादत की सूरत है और यह सूरत तय करने करने का मक़सद यह है कि आपके अन्दर ईश्वर का भय और उसकी मुहब्बत पैदा हो जाए।”

साइबर फ्रॉड : सुझाव और युक्ति



1. दस अंक के सामान्य नंबर से नहीं आते बैंक के कॉल—जब भी डराने-धमकाने वाला कोई कॉल आए तो देखिए कॉल किस नंबर से आया है। बैंक 10 अंक के सामान्य मोबाइल नंबर से कॉल नहीं करता। ऐसे किसी कॉल पर बैंक / कार्ड की निजी जानकारी न दें। कोई बैंक, सरकारी या ग़ैर-सरकारी संस्था किसी तरह का नोटिस व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसे प्लेटफार्म से नहीं भेजती। बैंकों से आने वाले आधिकारिक कॉल में नंबर 160 से शुरू होता है।

2. सार्वजनिक स्थानों पर बैंक आईडी या पासवर्ड टाइप न करें—यदि मेल, मैसेज या फ़ोन आता है तो उसकी जांच के लिए आधिकारिक वेबसाइट या नंबर पर संपर्क करें। एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल जैसे स्थानों के पब्लिक वाईफ़ाई का उपयोग करते हुए इंटरनेट बैंकिंग फ़ोन या लैपटॉप में लॉगइन न करें। ऐसे स्थानों पर यूजरनेम और पासवर्ड टाइप न करें। ऐसे में बैंक अकाउंट हैक हो सकता है। आप फेस आइडी या फिंगरप्रिंट से लॉग इन कर सकते हैं।

3. सोशल मीडिया प्रोफाइल को 'प्राइवेट' मोड पर रखें—अपनी सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल को MUST BE SET TO PRIVATE पर सेट करें। इस तरह हर कोई प्रोफाइल नहीं देख पाएगा। सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी जैसे अपना पूरा नाम, जन्म तिथि, लिंग, शहर, ईमेल आईडी, स्कूल का नाम, कार्य स्थल और व्यक्तिगत तस्वीरें शेयर करने में सतर्क रहें। इन जानकारियों को जुटाकर आपके साथ ठगी की जा सकती है।

बैंक 10 अंक के सामान्य मोबाइल नंबर से कॉल नहीं करता। ऐसे किसी कॉल पर बैंक / कार्ड की निजी जानकारी न दें। कोई बैंक, सरकारी या ग़ैर-सरकारी संस्था किसी तरह का नोटिस व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसे प्लेटफार्म से नहीं भेजती। बैंकों से आने वाले आधिकारिक कॉल में नंबर 160 से शुरु होता है।

4. पासवर्ड में वैरिएशन रखें... बायोमेट्रिक का उपयोग करें—स्कैमर्स आपके ईमेल यूजरनेम और पासवर्ड का पता लगाने की कोशिश करते हैं। आपके हर ईमेल अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक अकाउंट के लिए अलग-अलग पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड में जन्म की तारीख, परिवार के लोगों के नाम नहीं होने चाहिए। जहां संभव हो बायोमेट्रिक लॉक लगाएं। सिस्टम और ऐप में टु फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएं, ताकि अकाउंट सुरक्षित रहे।

5. जिप और क्यूआर कोड से भी हो सकता है सिस्टम हैक—आपको

कभी ईमेल, व्हाट्सएप, मैसेज या कहीं से भी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक नहीं करना है। क्यूआर कोड स्कैन करने से पहले भी सतर्क रहें। यह आपको फिशिंग लिंक पर ले जा सकता है। अनजान ईमेल से मिली जिप फाइल को भी नहीं ओपन करना है। इसके ज़रिए आपका फ़ोन या लैपटॉप हैक हो सकता है।

6. स्पैम फॉरवर्ड न करें ... स्कैमर इससे भी जुटाते हैं जानकारी–यदि ईमेल, व्हाट्सएप या मैसेज भेजने वाले को आप व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं, तो इस तरह के स्पैम ईमेल फॉरवर्ड न करें। फिर चाहे यह सुविचार हो, कोई फनी जोक, फ़ोटो, रेसिपी या कुछ और रोचक जानकारी। यह ईमेल फ्रॉड हो सकता है। इसके ज़रिए स्कैमर उन सभी लोगों के ईमेल या जानकारी जुटा सकता है, जिनके साथ आप इसे शेयर करते हैं।

7. कंपनी डोमेन नेम या ब्लूटिक करें ईमेल वैधता की पुष्टि–कोई स्वयं को किसी बड़ी कंपनी का प्रतिनिधि बताकर आपको ईमेल करे तो उसके आईडी की जांच करें। पर्सनल ईमेल से अनजान मेल कंपनी के नहीं होते। बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि कंपनी के डोमेन नाम से ईमेल करते हैं। जिसमें @ चिह्न के बाद कंपनी का नाम होता है। जीमेल पर ब्लूटिक से भी पहचान की पुष्टि होती है। ईमेल आईडी के साथ ब्लूटिक होना वैधता सुनिश्चित करता है।

8. क्विज में शामिल होने से पहले करवाने वाले की जानकारी जांचें–सर्वे या क्विज में शामिल होने से पहले भी सतर्क रहें। कुछ सर्वे या क्विज इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि आपसे अधिक से अधिक पर्सनल जानकारी ली जा सके। बाद में यह जानकारी बेची जा सकती है। इसके माध्यम से आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर या ट्रैकिंग कुकीज डाउनलोड की जा सकती है। सत्यापित करें कि सर्वेक्षण कौन कर रहा है और आपकी जानकारी क्यों मांग रहा है।



डेबिट या क्रेडिट कार्ड में अनुपयोगी फीचर बंद रखें, सतर्क रहें।

> **“क्रेडिट या डेबिट कार्ड के डेली लिमिट सेट कर सकते हैं। कार्ड के कुछ आपके लिए अनुपयोगी ट्रांजेक्शन बंद कर सकते हैं– जैसे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, टैप टु पे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी बंद कर सकते हैं। इस तरह की सेटिंग डिटेल्स चोरी होने पर भी आपको नुक़सान से बचा सकती है। आपके साथ किसी तरह का स्कैम हो तो बैंक में रिपोर्ट करें, ताकि ट्रांजेक्शन रोके जा सकें।”**

9. डेबिट या क्रेडिट कार्ड में अनुपयोगी फीचर बंद रखें–क्रेडिट या डेबिट कार्ड के डेली लिमिट सेट कर सकते हैं। कार्ड के कुछ आपके लिए अनुपयोगी ट्रांजेक्शन बंद कर सकते हैं–जैसे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, टैप टु पे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी बंद कर सकते हैं। इस तरह की सेटिंग डिटेल्स चोरी होने पर भी आपको नुक़सान से बचा सकती है। आपके साथ किसी तरह का स्कैम हो तो बैंक में रिपोर्ट करें, ताकि ट्रांजेक्शन रोके जा सकें।

10. बच्चों को भी साइबर सिक्योरिटी के लिए सतर्क रखें–13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, आईट्यून्स और कई अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अनुमति नहीं है। बच्चों की डिवाइस में कंटेंट फिल्टर करें। अपने बच्चों को स्नैपचैट जैसे एप्स का उपयोग करने की अनुमति न दें। ये एप पोस्ट को तुरंत हटा देते हैं। यहां आप बच्चों की ऑनलाइन गतिविधि की निगरानी नहीं कर सकते। ■■

समान नागरिक संहिता को कोर्ट में चुनौती, केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया



उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए 'समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024' के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है।

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने दोनों प्रतिवादियों को छह सप्ताह के भीतर अपने जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, अलमासुद्दीन सिद्दीकी और इकराम द्वारा दायर जनहित याचिका में नोटिस जारी किए गए, जिसमें क़ानून को चुनौती दी गई है।

याचिका में कहा गया है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25 के तहत मुसलमानों और अन्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, साथ ही मुस्लिम समुदाय की आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का भी उल्लंघन करती है।

हाईकोर्ट ने इस याचिका को विभिन्न आधारों पर यूसीसी को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है और मामले की सुनवाई छह सप्ताह बाद निर्धारित की है।

एक अन्य याचिका में अधिवक्ता आरुषि गुप्ता ने न्यायालय से यूसीसी के आवेदन के दायरे, विवाहों के पंजीकरण की आवश्यकताओं और लिव-इन संबंधों के पंजीकरण या समाप्ति से संबंधित प्रमुख प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने का आह्वान किया है।

विशेष रूप से, याचिकाकर्ता ने उत्तराखंड यूसीसी 2025 की धारा 3(सी), 3(एन)(IV), 4 (IV), 8, 11, 13, 25 (3), 29, 32(1) और (2), 378, 380(1), 384, 381, 385, 386 और 387 के साथ-साथ संबंधित नियमों की वैधता पर सवाल उठाया है।

विरोध के सभी संवैधानिक रास्ते अपनाएंगे—मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

वक़्फ (संशोधन) बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट बीते दिनों राज्यसभा में पेश कर दिया गया जिसके बाद सदन में इसका विरोध शुरू हो गया। विपक्षी दलों ने सरकार पर वक़्फ बोर्डों को कमज़ोर करने का आरोप लगाया। इस बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में वक़्फ बिल के विरोध में प्रेस वार्ता की।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उनके पदाधिकारियों ने संसद में वक़्फ संशोधन बिल पेश करने को लेकर विरोध जताया और कहा कि अगर बिल पास होती है तो बोर्ड हर संभव इसका विरोध करेगा और इसके विरोध में सभी क़ानूनी और संवैधानिक रास्ता अपनाएगा।



मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि, वक़्फ के लिए लड़ाई कोई हिन्दू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है बल्कि हमारा विरोध उस सरकार से है जो मुसलमानों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर रही है, इसलिए सभी इंसाफ पसंद नागरिकों से हम अपील करते हैं कि वो मुसलमानों का इस संविधान के अधिकार को पाने की लड़ाई में साथ दे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. कासिम रसूल इलियास ने कहा कि, बोर्ड की वर्किंग कमेटी मीटिंग में भी लिए गए कई अहम फैसलों में से एक यह भी है कि अगर सरकार यह बिल वापस नहीं लेती है और इसे लागू करती है तो हम इसके विरुद्ध एक देशव्यापी अभियान शुरू करेंगे। हर प्रकार के उपलब्ध कानूनी और संवैधानिक विकल्पों को अपनाते हुए हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे।



बदलते मौसम में बीमार होने से बचें

सर्दी का कोहरा गर्मी की धूप की जगह लेने लगा है। मौसम सुहावना है, लोग स्वेटर उतार रहे हैं, ठंडी चीज़ों की तरफ़ स्विच कर रहे हैं। ये सब चीज़ें शुरुआत में अच्छी लगती हैं, मगर आगे चलकर आपकी ही परेशानी का कारण बन सकती हैं। मौसम की हल्की ठंडक अभी गई नहीं है, ऐसे में आपकी ये छोटी-छोटी ग़लतियां, बीमारियों का कारण बन सकती हैं।

जहां सर्दियों की अपनी चुनौतियां हैं, वहीं गर्मी हमारे स्वास्थ्य और सेहत के लिए कई अलग समस्याएं लाती हैं। जिसके लिए हमें अपने शरीर को तैयार करना चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल करने के लिए बड़े बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। बस कुछ छोटे क़दम उठाकर ही हम इन नए परिवर्तनों के साथ अपने शरीर को ढाल सकते हैं।

गर्मी जहां मौज-मस्ती और खेल-कूद का समय है, वहीं यह वह समय भी है जब बीमारियां बहुत होती हैं। कुछ महत्वपूर्ण तरीक़ों को अपनाकर हम न केवल मौसम में आने वाले बदलावों से होने वाली बीमारियों से बच सकेंगे, बल्कि उनमें से कुछ हमें लंबे समय में भी स्वस्थ रहने के लिए मदद करेंगे। आइए जानते हैं उन टिप्स के बारे में, जो आपको बदलते मौसम के लिए तैयार करेंगे।

सेहत



संपादन प्रभाग

“नींद हर चीज़ का इलाज है, और बीमारियों के जोखिम को दूर रखने और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप पर्याप्त नींद या आराम नहीं करते हैं, तो आपका शरीर थका हुआ महसूस करेगा। फिर यह किसी भी बीमारी से लड़ने में असमर्थ हो सकता है।”

पर्याप्त पानी पिएं

मानव शरीर लगभग 60% पानी से बना है। गर्मी और पसीना आपके शरीर को डिहाइड्रेटेड छोड़ सकता है, जिससे आपको ठंड लग सकती है और बुख़ार आ सकता है। वास्तव में, पानी की कमी भी आपके शरीर के लिए हानिकारक है और भूख न होने पर भी आपको भोजन के लिए तरसा सकती है। प्रतिदिन पर्याप्त पानी पीकर अपने-आपको अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रखें।

पानी हमारे शरीर को पेशाब, पसीने

और मल त्याग के माध्यम से ज़हरीले कचरे से छुटकारा पाने में भी मदद करता है। यह न सिर्फ़ आपको हाइड्रेट रखेगा बल्कि आपको ज़्यादा खाने से भी बचाएगा। पानी से इस दौरान बीमारी फैलने का ख़तरा रहता है। इसलिए इस दौरान पानी उबाल कर पीना चाहिए। बाहर खाना खाने से भी इस दौरान बचना चाहिए।

मौसमी फल और सब्जियां खाएं

इन दिनों अधिकांश सब्जियां और फल साल भर उपलब्ध रहते हैं। हालांकि, मौसमी खाद्य पदार्थों का सेवन करने के अपने फ़ायदे होते हैं। सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए हमेशा ताज़े कटे हुए खाद्य पदार्थों का चयन करें। आलूबुख़ारा, टमाटर, खीरा, योंगचक, जामुन, तरबूज, संतरा आदि का सेवन करें।

संतरे और तरबूज जैसे फल न केवल हमें आवश्यक पोषक तत्व और खनिज प्रदान करते हैं, बल्कि हमारे शरीर को हाइड्रेट भी करते हैं और हमारे शरीर को आंतरिक रूप से ठंडा करते हैं जिससे हमें मदद मिलती है।

साफ़-सफ़ाई का ध्यान रखें

जैसे-जैसे हम सर्दियों से गर्मी की ओर बढ़ते हैं, तो अच्छी स्वच्छता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। गर्मी और उमस के कारण रोगाणु पनपते हैं, जिससे मौसमी फ्लू, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पीलिया, टाइफाइड, त्वचा पर चकत्ते और फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां होती हैं। स्वच्छता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छी बात यह है कि अच्छी स्वच्छता बनाए रखना वाक़ई आसान है।

साधारण चीज़ें जैसे दिन में दो बार स्नान करना, खाने से पहले हाथ धोना, त्वचा पर रैशेज से बचने के लिए मॉइश्चराइजर का उपयोग करना, बाहर खाने से परहेज़ करना, या कम से कम साफ़-सफ़ाई बनाए रखने वाली जगह पर खाना खाने से बुनियादी स्वच्छता बनाए रखने में काफ़ी मदद मिलती है।

सक्रिय रहें

मौसमी बीमारियों से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीक़ा है एक्टिव रहना। इसके लिए दौड़ने, तैराकी, जिम आदि जैसे कोई विशिष्ट व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं है। यह कोई भी खेल हो सकता है जिसका आप आनंद लेते हैं जैसे–फुटबॉल, बॉलीबॉल, क्रिकेट आदि। अपने ऑफ़िस आवर्स के दौरान भी सिर्फ़ कुर्सी पर न बैठे रहें, बल्कि छोटे- छोटे काम करने के लिए ख़ुद उठें। प्रतिदिन समुचित व्यायाम करें। व्यायाम करने का सबसे अच्छा समय सुबह है, इसलिए नहीं कि यह कोई अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है, बल्कि इसलिए कि आप इससे दिनभर ऊर्जावान महसूस करेंगे।





भरपूर नींद लें

नींद हर चीज़ का इलाज है, और बीमारियों के जोखिम को दूर रखने और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप पर्याप्त नींद या आराम नहीं करते हैं, तो आपका शरीर थका हुआ महसूस करेगा। फिर यह किसी भी बीमारी से लड़ने में असमर्थ हो सकता है। ■■

करियर



संपादन प्रभाग

12वीं के बाद करें पार्ट टाइम काम, न बनें अभिभावकों पर बोझ

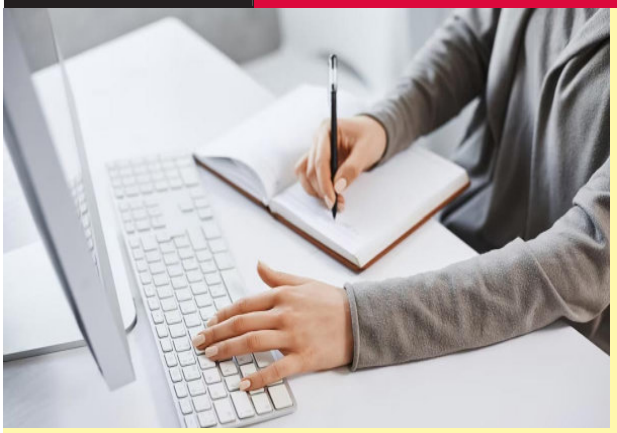

आप यदि बारहवीं के बाद अपने मां-बाप या अभिभावकों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते और अपनी पढ़ाई का ख़र्चा ख़ुद ही निकालना चाहते हैं तो आप ख़ाली समय में कुछ काम करके अपनी पढ़ाई का ख़र्च ख़ुद ही उठा सकते हैं।

कंटेंट राइटिंग

अगर आप अच्छा लिखते हैं तो आप कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हैं। ये काम आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अपने ख़ाली समय में कुछ घंटे लगाकर आप इतना कमा सकते हैं जिससे आप अपनी पढ़ाई का ख़र्च उठा सकें।

कंटेंट एडिटर

भाषा पर यदि आपकी अच्छी पकड़ है तो आप कंटेंट एडिटर की जॉब भी कर सकते हैं। आपको बस किसी वेबसाइट के कंटेंट को पोस्ट करने से पहले उसमें भाषा से संबंधित कमियों को सुधारना होगा।

सोशल मीडिया असिस्टेंट

इस नौकरी में आपको कंपनियों का सोशल मीडिया अकाउंट संभालना होगा और साथ ही साथ उनके कंटेंट को मैनेज भी करना होगा। आप इसे पार्ट टाइम कर सकते हैं। इससे आपका पूरा दिन इसमें नहीं निकलेगा और आपकी पढ़ाई का ख़र्च भी आसानी से निकल जाएगा।



गेस्ट सर्विस कोऑर्डिनेटर

इसमें आपको क्लाइंट से डील करना और उनकी समस्याएं सुलझाना होगा। ध्यान रहे अपने काम के दौरान आपको क्लाइंट के सामने कंपनी की अच्छी छवि भी प्रस्तुत करनी है। अगर आपमें यह क्षमता है तो आप इस काम के ज़रिए पर्यटन, होटल, इंवेंट जैसे क्षेत्रों से जुड़ सकते हैं।



ऑनलाइन रिसर्चर

कई बिजनेस हाउसेस के एक्जीक्यूटिव्स के पास ख़ुद रिसर्च करने का समय नहीं होता। ऐसे में वो लोगों को इस काम के लिए नियुक्त करते हैं। अगर आपकी सामान्य ज्ञान पर अच्छी पकड़ है साथ ही साथ रिसर्च करने के शौक़ीन हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। ■■

ख़ुदा की मदद



उबैदुल्लाह 'मेव' और सैयद इम्तियाज़ अहमद हाईस्कूल में एक साथ पढ़ रहे थे। उबैद छुट्टी के दिनों में गांव जाकर अपने गुज़ारे के लिए अनाज और कुछ घी ले आता। रहने के लिए उसे इम्तियाज़ अहमद की हवेली में एक ख़ाली अस्तबल मिल गया था। इम्तियाज़ का बहुत-सा समय कनकैयाबाज़ी, बटेरबाज़ी, सिनेमा देखने और मुजरा सुनने में चला जाता, और कुछ फ़ुटबॉल, क्रिकेट में। वालिद साहब कुछ पढ़ने-लिखने के लिए परेशान ही कर देते तो वह पलंग पर लेट कर नॉविल पढ़ता-पढ़ता सो जाता। जब इम्तियाज़ यह सब फ़न और हुनर पास कर रहा था, उबैद अस्तबल में अपनी खाट पर बैठ तिकोन का क्षेत्रफल निकालने, 'झ' को 'ज्ञ' से गुणा कर 'जै' से भाग देकर, उसे 'म' और 'ल' के जोड़ के बराबर प्रमाणित करने और इस देश को ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा दी गई बरकतें याद करने में लगा रहता। इम्तियाज़ को

कहानी



यशपाल

उबैद का बहुत सहारा था। स्कूल में जब मास्टर लोग घर पर काम करने के लिए दिए गए काम के बारे में सख़्ती करने लगते, तो वह उबैद की कॉपियों की मदद ले मास्टरों की तसल्ली कर देता। उबैद यह सब देखता और सोचता था, 'मेहनत और सब्र का फल एक दिन मिलेगा। ख़ुदा सब कुछ देखता है।'

उबैद मैट्रिक के इम्तिहान में पास हो गया। इम्तियाज़ के वालिद सैयद मुर्तज़ा अहमद को काफ़ी दौड़-धूप करनी पड़ी। उनका काफ़ी रसूख़ था। इम्तियाज़ भी पास हो गया। उबैद का अपने गांव में गुज़ारा मुश्किल था। ज़मीन इतनी कम थी कि सभी लोग घर पर रहते तो निठल्ले बैठे रहते या खेत में मज़दूरी करते। जुताई पर ज़मीन मिलना भी आसान न था। घर वाले कहते थे, 'इतना पढ़ाया-लिखाया है, तो क्या हल चलवाने के लिए? अगर ज़मीन से ही सिर मारना था, तो इल्म का फ़ायदा क्या?' उबैदुल्लाह आगरे में कोशिश करता रहा। कभी भट्टे पर नौकरी मिल जाती, कभी किसी जूते के कारख़ाने

में। तनख़ाह बीस बाइस रुपए, और फिर नौकरी पक्की नहीं। इतने में इम्तियाज़ मुरादाबाद से सब इंस्पेक्टरी पास करके आ गया, और उसे अपने ही शहर में नौकरी मिल गई। इम्तियाज़ ने फिर उबैद की मदद की। उबैद कांस्टेबिल हो गया।

यह ठीक है कि लाल पगड़ी और ख़ाकी वर्दी पहन कर उबैद आम लोग-बाग के सामने हुकूमत दिखा सकता था, लेकिन जान-पहचान के लोगों में, साथ पढ़ने वालों का 'सामना होने पर उसके मुंह में कड़वाहट-सी आ जाती, ख़ास तौर पर जब उसे इम्तियाज़ के सामने सलूट देनी पड़ी। वह यह न भूलता कि स्कूल में इम्तियाज़ उसकी कॉपियों से नक़ल किया करता था। लेकिन अगर इन्सान के किए ही सब कुछ हो सकता तो ख़ुदा कि हस्ती को इन्सान कैसे पहचानता सैयद इम्तियाज़ रसूल के ख़ानदान से थे। ख़ैर, कभी तो मेहनत और ईमानदारी का 'नतीजा सामने आएगा। ख़ुदा सब कुछ देखता है। उबैद की ड्यूटी नाके पर लगती या रात की रौंद में पड़ती तौ चवन्नियों, अठन्नियों को शक में फ़ायदा उठा लेने का मौक़ा रहता। उसके साथ के सब लोग ऐसा करते ही थे। वर्ना अठारह रुपए की कांस्टेबिली में क्या रखा था? पर उबैद नियत न बिगाड़ता। उसे ईमानदारी और मेहनत के अंजाम पर भरोसा था। जब वह एड़ी से पड़ी ठोक कर दारोग़ा साहब को सलूट देता था तो मन में एक आदर्श की पूजा करता था। यह आदर्श था-सिर की लाल पगड़ी पर लटकता सुनहरा झब्बा, पीतल का चमचमाता ताज, कंधे से कमर तक लगी हुई चमड़े की पेटी। तनख़्वाह चाहे अधिक न हो, पर वह सरकार का प्रतिनिधि होगा। इतिहास में उसने कई बादशाहों और ख़लीफ़ाओं का ज़िक्र पढ़ा था, जो ग़रीबी में गुज़ारा कर इन्साफ़ करते थे। वैसे ही यह भी करेगा। हिन्दुस्तानी अफ़सर अक्सर कमीनापन करते है। अंग्रेज़ के हाथ में इन्साफ़ है। इसीलिए ख़ुदा ने उसे इतना रुतबा दिया है'।

सैयद इम्तियाज़ अहमद सीआईडी डिपार्टमेंट में हो गए थे। उबैद पढ़ा-लिखा था। उन्होंने उसे भरोसे लायक़ आदमी समझ अपने नीचे ले लिया। उसे अदना सिपाही की वर्दी से मुक्ति मिली, साइकिल का और दूसरे भत्ते मिलने लगे। सरकार के सामने उसकी बात का मूल्य था। उसने एक तथ्य समझा-दादर में जितना आतंक, अपराध और सनसनी हो, सरकार की दृष्टि में उसका मूल्य उतना ही अधिक है। सैयद साहब स्वयं जो चाहे करते ही, लेकिन उन्हें आदमियों की ज़रूरत थी, जो कम-से कम उन्हें तो धोखा न दे। ऐसे मामलों में अक्सर उबैद की ड्यूटी लगती। मेहनत का नतीजा भी उबैद को मिला। जल्दी ही उसकी वर्दी की आस्तीन पर पहले एक बत्ती, फिर दो लग गई।

इस महकमे में नौकरी करते उसे बरस ही पूरा हुआ था कि सन् 42 का अगस्त आ गया। जगह-जगह से रेलें और तार के खम्भे उखाड़ दिए जाने और आने जला दिए जाने के भयंकर समाचार आने लगे। उबैद को लोग-बाग की आंखों में सरकार के लिए और अपने लिए नफ़रत और सरकशी दिखाई देने लगी। उसे याद आया कि स्कूल में सन् 1857 के ग़दर का हाल पढ़ते समय जाहिरा तारीफ़ अंग्रेज़ों की ही की जाती थी, लेकिन सभी के मन में मुल्क को आज़ाद करने के लिए विदेशियों से लड़ने वालों की ही इज़्ज़त थी। मालूम होता था कि फिर वही वक़्त 'आ रहा है। लेकिन अब वह' अंग्रेज़ सरकार का नौकर था। एक बार वह मन में सहमा। अगर रिआया और सरकार की इस पकड़ में सरकार चित्त हो जाय तो उसका क्या होगा उस वक़्त उसने रेडियो पर लाट हैलट साहब का फ़रमान सुना। लाट साहब ने कहा--इस वक़्त सरकार मुल्क के बाहर दुश्मनों से लड़ रही है। कुछ शरारती और सरकश लोग रिआया को सरकार के ख़िलाफ़ भड़का कर अमन में ख़लल और परेशानियं पैदा कर रहे हैं। हमारी सरकार को अपनी वफ़ादार रिआया, पुलिस और फ़ौज पर पूरा भरोसा है।

हमारी सरकार के जो अगले इस सरकशी और बदअमनी को ख़त्म करने में जी-जान से इमदाद करेंगे, सरकार उनकी ख़िदमतों का मुनासिब एतराफ़ करेगी। पुलिस और फ़ौज को सरकशी ख़त्म और अमन क़ायम करने का फ़र्ज़ पूरा करने में जो सख़्ती करनी पड़ेगी, उसके लिए सरकारी नौकरों, पुलिस के ख़िलाफ़ कोई शिकायत नहीं सुनी जायगी, न उसकी कोई जांच पड़ताल होगी।

उबैद का सीना गज़ भर का हो गया। बाज़ारों में 'इन्क़िलाब ज़िंदाबाद' और अंग्रेज़ी सरकार मुरदाबाद' की आसमान फाड़ देने वाली जनता की चिल्लाहटों और थानों, कचहरियों को जला देने की अफ़वाहों से थर्राते उबैद के दिल को सांत्वना मिली। उसने सोचा। इधर ज़िंदाबाद और मुरदाबाद की चिल्लाहट और लाखों सरकश हैं तो हमारे पास भी राइफ़लों से मुसल्लह गारदें, फ़ौज, तोपख़ाने और हवाई जहाज़ हैं। अगर एक बम आगरे पर गिरा दिया जाय तो सरकश रिआया का दिमाग़ दुरुस्त हो जाय।'

थाने में अधिकतर मुसलमान सिपाही थे। कोतवाल साहब भी मुसलमान थे। उन्होंने रेडियो पर

हुआ क़ायदे आज़म का एलान सब सिपाहियों को बताया कि हिन्दू कांग्रेस की इस बग़ावत का मक़सद अंग्रेज़ सरकार को डरा कर मुल्क में हिन्दू-कांग्रेस का राज क़ायम करना है। मुसलमानों को इस बग़ावत से कोई सरोकार नहीं मुसलमान हिन्दू कांग्रेस से डर कर, उनका राज हरगिज़ क़ायम न होने देंगे। कोतवाल साहब सिपाहियों को यूं भी समझाते रहते थे कि मुसलमान हाकिम क़ौम है। वे हमेशा मुल्क पर हुकूमत करते आए हैं। इसी आगरे के क़िले में मुसलमान हुकूमत करते थे। अंग्रेज़ हमेशा मुसलमान का एतिबार और इज़्ज़त करता है। ईसाई हमारे अहलेकिताब हैं। ख़ुदा पर अंग्रेज़ को ओहदा दिया है और हम लोगों को उसकी मदद करने का हुक्म है। यह कांग्रेस के बनिये बक्काल क्या हुकूमत करेंगे? इन्हें चरखा कातना है, तो लहंगा पहन लें और बैठ कर सूत काते। मुसलमान शेर क़ौम है। हमेशा से गोश्त खाता आया है। अब घास कैसे खाने लगे?

उमेद भी सोचता, 'इन लोगों के राज में हम लोगों का गुज़ारा कैसे हो सकता है। हम लोग भला इनकी ग़ुलामी करेंगे? रिआया की सरकशी और बग़ावत की जीत का मतलब है कि पुलिस, फ़ौज और हुकूमत तबाह हो जाए। जैसे हम लोग कुछ है ही नहीं। यानी हम लोग दो रोटी के लिए सिर पर झाबा रखे तरकारी बेचते फिरें, या इनके लिए इक्के हांकें।' उसने मन ही मन सरकश रिआया को गाली दी और उनके प्रति नफ़रत से थूक दिया।

उस समय रिआया ने सरकार को जाने क्या समझ लिया था। पटवारियों, तहसीलदारों, जेलदारों, की सब ज़्यादतियों और जबरन जंगी चन्दा वसूल किए जाने का बदला लेने के लिए, देहातों में ख़ाली हाथ या ढेला, पत्थर और लाठी ले उठ खड़े हुए। ज्यों-ज्यों जनता का विरोध बढ़ता जा रहा था, सरकार सिपाहियों का लाड़ और ख़ुशामद अधिक कर रही थी।

यूपी के पूर्वी ज़िलों के देहात में विद्रोह अधिक था। पश्चिम के ज़िलों से वफ़ादार और समझदार पुलिस को स्थानीय पुलिस की सहायता के लिए भेजा गया। सैयद इम्तियाज़ अहमद की मातहती में उबैद भी बनारस ज़िले में गया। विशेष भरोसे का और समझदार होने के नाते उसे सदर की पोशाक में देहाती बनकर सरकशों का पता लगाने का काम सौंपा गया। दिन भर गांव-गांव फिर कर अगर वह सांझ को ख़बर देता कि सब अम्नोअमान है तो सैयद साहब उसे फटकार देते और रपट लिखते कि 'मातबर ज़रिये से पता चला है कि पड़ोस का थाना फूंक देने वाले सरकश लोग गांव में छिपे हुए हैं।' रपट में कुछ सरकश बनियों के नाम ख़ास तौर पर

हमारी सरकार के जो अगले इस सरकशी और बदअमनी को ख़त्म करने में जी-जान से इमदाद करेंगे, सरकार उनकी ख़िदमतों का मुनासिब एतराफ़ करेगी। पुलिस और फ़ौज को सरकशी ख़त्म और अमन क़ायम करने का फ़र्ज़ पूरा करने में जो सख़्ती करनी पड़ेगी, उसके लिए सरकारी नौकरों, पुलिस के ख़िलाफ़ कोई शिकायत नहीं सुनी जायगी, न उसकी कोई जांच पड़ताल होगी।

रहते। साहब के यहां उबैद की कारगुज़ारी पहुंचने पर उसकी पीठ ठोंकी जाती। गारद जाकर गांव को घेर लेती। एक-एक झोंपड़ी और मकान की तलाशी ली जाती। भगोड़ों का पता पूछने के लिए लोगों को मुश्कें बांध का पीटा जाता, औरतों को नंगी कर देने की धमकी दी जाती। तबीयत होती तो धमकी को पूरी कर दिखा देते। इस मुहिम में पुलिस वालों के हाथ जो लग जाता, थोड़ा था। किसी के घर से घी की हांडी, गुड़ की भेलिया किसी की अंटी से दो-चार रुपए, किसी औरत के गले या कलाई से चांदी के गहने उतर जाने का क्या पता चलता सिपाहियों ने ख़ूब खाया।

सेरों चांदी की गठरियां उनके थैलों में छिपी रहतीं। किसी घर में छबीली औरत या जबान लड़की की झांकी पा जाते तो घर की तलाशी ले लेते। मर्दों को शक में पकड़ कैम्प में भिजवा देते, औरतों से पूछते, 'बताओ भगोड़े बदमाश कहां छिपे हैं?' और उन्हें बांह से घसीट कर अरहर के खेतों में ले जाते। शान्ति क़ायम करने के लिए पुलिस की इन हरकतों के ख़िलाफ़ यदि किसी देहाती के माथे पर बल दिखाई देते तो उसे पेड़ से बांध कर उसके सारे शरीर के बाल झाड़ दिए जाते।

पुलिस अनुभव कर रही थी कि वह वास्तव में राज कर रही है। बदमाशों की खोज-ख़बर लगाने का काम सरकार की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण था। कटौना का थाना फूंकने वालों का पता लगाने के लिए उबैद को मोहरसिंह के साथ ड्यूटी पर लगाया। रघुनाथ पांडे छः मास से फ़रार था। उबैद ने साधु का भेष बनाया और काशी जी में फिरता रहा। वह हाथ देख कर भाग्य बताता, रमल बताता और बात-बात में राज-पलट

होने, नये राजा, तालुकदार बनने और ताम्बे का सोना बनाने की बातें करता। इसी तरह बातों-बातों में उसने रघुनाथ पांडे को खोज निकाला और गिरफ़्तार करवा दिया। देश में शान्ति स्थापित हो गई। उबैद आगरा लौट आया और उसकी कारगुज़ारी के इनाम में उसे हेड कांस्टेबल का ओहदा मिला। आगरे में भी उसे सियासी फ़रारों की तलाश के काम पर लगाया गया। यहां उसने कुछ दिन इक्का हांक कर, फ़रार निर्मल चन्द को गिरफ़्तार करा दिया। उसे पूरा भरोसा था कि जल्दी ही सब-इन्सपेक्टरी मिल जाएगी।

मुल्क में अमनो-अमान क़ायम हो गया था पर जाने अंग्रेज़ों को क्या सूझा कि उन्होंने सरकार का काम कांग्रेस वालों को सौंप दिया। अफ़वाहें उड़ रही थीं कि सब जेल जाने वाले ही अफ़सर बनेंगे और अंग्रेज़ सरकार से बअदारी निभाने वालों से बदले लिए जायेंगे। कुछ दिनों में ही इतना परिवर्तन हो गया कि जो गांधी टोपी छिपती फिरती थी, अब अकड़ कर मोटर पर सवार थाने में पहुंचने लगी। लाल पगड़ी को उसके सामने झुक कर सलाम करना पड़ता। अंग्रेज़ सरकार के समय जिन अफ़सरों का मान था वे अब घबरा रहे थे। पुरानी सरकार के प्रति वफ़ादारी नयी सरकार की निगाह में गद्दारी थी। उबैदुल्लाह सोचता था– यह अल्लाह ने क्या किया?' पुलिस के बड़े मुसलमान अफ़सर, सैयद इम्तियाज़ अहमद और दूसरे साहबान, तुर्की टोपी की जगह किश्तीनुमा टोपियां पहनने लगे, और फिर गांधी टोपी। वे अपने से नीचे ओहदे के सहमे हुए लोगों को समझाते,'अपना फ़र्ज़ हे हाकिमे-वक़्त का वफ़ादार रहना। सियासियत से हमें क्या मतलब?'

उबैदुल्लाह मन ही मन सोचता कि बेइज़्ज़त होकर बर्ख़ास्त होने से बेहतर है कि बाइज़्ज़त रह ख़ुद इस्तीफ़ा दे दे। इस नयी सरकार को उसकी ज़रूरत क्या? ख़ास कर सियासी खुफ़िया पुलिस की उसे क्या ज़रूरत 'जब रिआया का अपना राज हो गया तो लोग ख़ुद ही क़ानून बनायेंगे और उन्हें मानेंगे। कौन बग़ावत करेगा, जिसे हम पकड़ेंगे? यह जनता की सरकार हमें क्यों पालेगी?'

सरकारी नौकरों और पुलिसों को अपनी मर्ज़ी, से हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में बंट जाने का मौक़ा दिया गया। उबैद ने सोचा कि इस हिन्दू राज

देश में शान्ति स्थापित हो गई। उबैद आगरा लौट आया और उसकी कारगुज़ारी के इनाम में उसे हेड कांस्टेबल का ओहदा मिला। आगरे में भी उसे सियासी फ़रारों की तलाश के काम पर लगाया गया। यहां उसने कुछ दिन इक्का हांक कर, फ़रार निर्मल चन्द को गिरफ़्तार करा दिया। उसे पूरा भरोसा था कि जल्दी ही सब-इन्सपेक्टरी मिल जाएगी।

से पाकिस्तान ही चला जाय। बड़े-बड़े मुसलमान अफ़सर भी ऐसी ही बातें कर रहे थे। पुलिस में मुसलमान ही ज़्यादा थे। सब पुलिस अगर पाकिस्तान ही पहुंच जाय तो रिआया से ज़्यादा तो पुलिस ही हो जायेगी। वह घबरा रहा था। जिन लोगों की चौकसी कर वह डायरी लिखा करता था, वे लोग अब सरकारी परमिट लाकर बड़े-बड़े कारोबार कर रहे थे। जब तक बड़े लाट लोग अंग्रेज़ थे, कुछ धीरज था। उम्मीद थी कि शायद फिर दिन फिरें। एक बार पहले भी कांग्रेस सरकार हुई थी, और चली गई। लीग वाले भी ज़ोर बांध रहे थे। लेकिन अगस्त1947 में जब लाट भी कांग्रेसी बन गए, तो वह धीरज भी जाता रहा। वह देखता रहता था कि सैयद साहब अब इस या उस कांग्रेसी नेता के यहां मिलने आते-जाते रहते थे और प्राय: ज़िक्र करते रहते थे, कि उनके मरहम वालिद साहब मौलाना शौकत-अली और मुहम्मद अली के जिगरी दोस्त थे, और ख़िलाफ़त तथा कांग्रेस में काम करते रहे हैं। वे तो एक बार लखनऊ भी हो आए थे। उबैद सोचता,'ये तो ख़ानदानी और बड़े आदमी हैं। पहले रसूख़ के ज़ोर पर ओहदे पर चढ़ गए अब भी इनका गुज़ारा हो जाएगा। अंग्रेज़ी सरकार के ज़माने में इन्होंने मुसाहबियत के सिवा किया क्या है? लेकिन हमने तो ईमानदारी और नमक हलाली निभाई है। 'ऊपर के दफ़्तरों में रिकार्ड' देखे जा रहे होंगे और बर्ख़ास्तगी का हुक्म आया ही चाहता है।'

अंग्रेज़ों ने हिन्दुस्तान का शासन कांग्रेस और लीग को ऐसे समय में सौंपा जब युद्ध के बोझ के कारण देश की आर्थिक अवस्था अस्त-व्यस्त हो चुकी थी। कीमतें चौगुनी चढ़ गई थीं। मुनाफे के लोभ में व्यापारियों ने बाजारों को समेट कर गोदामों में बन्द कर लिया था। सरकार राष्ट्र-निर्माण करना चाहती थी। जनता रोटी मांग रही थी। व्यवसायी लोग दाम नीचे न गिरने देने के लिए माल को तैयारी कम कर रहे थे। जो माल बनता, उसे सरकारी कीमत की मोहर लगवाये बिना चोर-बाज़ार में खींच लेते! मज़दूर अपनी मज़दूरी से पेट न भर पाने के कारण मज़दूरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे। मज़दूरी न बढ़ने पर मज़दूर हड़ताल की धमकी दे रहे थे। सरकार हड़ताल को राष्ट्र के लिए घातक समझ रही थी। हड़ताल-विरोधी क़ानून बना दिए गए। ■■

सर्जक का अंतिम संदेश



आख़िरी पन्ना

डॉ. मुहम्मद इक़बाल सिद्दीक़ी

एक सवाल हमारे मन में पैदा होता है कि इस सृष्टि का स्रष्टा कौन है? क्या मनुष्य को किसी की उपासना या आराधना करनी चाहिए? क्या यह उसके लिए ज़रूरी है? क्या उसको किसी का आज्ञापालन करना चाहिए? अगर आज्ञापालन करना चाहिए तो किसका? जब हम मर जाएंगे, तो हमारा क्या होगा? क्या हम यूं ही मिट्टी में मिलकर रह जाएंगे ? या जला दिए जाएंगे तो राख़ बनकर उड़ जाएंगे? मरने के बाद क्या कोई जीवन है या केवल यही एक जीवन है? ये ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से पता नहीं लगा सकते।

क्या मनुष्य को किसी की उपासना या आराधना करनी चाहिए? क्या यह उसके लिए ज़रूरी है? क्या उसको किसी का आज्ञापालन करना चाहिए? अगर आज्ञापालन करना चाहिए तो किसका? जब हम मर जाएंगे, तो हमारा क्या होगा? क्या हम यूं ही मिट्टी में मिलकर रह जाएंगे ? या जला दिए जाएंगे तो राख़ बनकर उड़ जाएंगे? मरने के बाद क्या कोई जीवन है या केवल यही एक जीवन है? ये ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से पता नहीं लगा सकते।

यह परोक्ष की चीज़ें हैं, जिनका पता लगाने के लिए हमें ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है जो हमें हमारा रचयिता ही दे सकता है। इन प्रश्नों का उत्तर यदि हम नहीं पाते हैं तो फिर हम कल्पनाएं करने लगते हैं और अपनी कल्पनाओं से हम कुछ उपास्य बना लेते हैं। हम यह सोचने लगते हैं कि यह सृष्टि ऐसे बनी होगी, वैसे बनी होगी या इसका बनाने वाला एक है या अनेक है और कभी-कभी हम अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर आकलन करने लगते हैं कि यह सृष्टि अपने आप बन गई होगी। ऐसा भी होता है कि हम सिरे से ही इन प्रश्नों को नकार देते हैं और पल्ला झाड़ लेते हैं कि इन प्रश्नों पर हमें सोचने कि ज़रूरत ही नहीं है।

वास्तविकता यह है कि इन प्रश्नों के उत्तर पर ही हमारा आचरण व व्यवहार निर्भर करता है। अगर हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि इस सृष्टि का कोई बनाने वाला है, तो हमारा आचरण अलग होगा। अगर हम यह सोचते हैं कि यह सृष्टि अपने आप बन गई है, तो हमारा आचरण अलग होगा। अगर हम यह विश्वास करते हैं कि इस सृष्टि के रचयिता एक नहीं अनेक हैं, तो हमारा आचरण अलग होगा। हम अपने जैसे मनुष्यों और

इस प्रकृति में पाई जाने वाली विभिन्न चीज़ों के साथ कैसा आचरण करते हैं, यह सब इसी पर निर्भर करेगा।

अब यहां क़ुरआन यह दावा करता है कि इसमें इस प्रश्न का उत्तर मौजूद है कि इस संसार को किसने बनाया। इसका रचयिता है या नहीं। क़ुरआन कहता है कि इसका रचयिता है और वह एक ही है। उसे हम विभिन्न नामों से पुकारते हैं। अरबी में उसका नाम अल्लाह है। इस किताब का दावा है कि यह मनुष्य का सच्चा मार्गदर्शन करने के लिए उसके पालनहार की ओर से भेजी गई है। यह किताब कहती है कि मार्गदर्शन के लिए कुछ योग्यताएं मनुष्य में होनी चाहिए।

पहली योग्यता है, ईश्वर का डर। अरबी में जिसको तक़वा कहा गया है, संयम, बुराई से बचने की इच्छाशक्ति, भलाई पर जमे रहने का संकल्प। दूसरी योग्यता है, परोक्ष पर बिना देखे विश्वास करना और जो कुछ ईश्वर के दूत ने बताया है उन सबपर बिना देखे विश्वास करना। तीसरी योग्यता है, नमाज़ क़ायम करना। नमाज़ क्या है? समर्पण और आज्ञापालन नमाज़ है। शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह समर्पित होकर ख़ुद को ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत कर देना।

चौथी योग्यता यह है कि धन का लोभ त्यागकर उसे लोगों की भलाई पर ख़र्च करो। पांचवीं योग्यता यह है कि ईश्वर की किताब यानी क़ुरआन पर विश्वास करो। इस बात पर विश्वास करो कि यह किताब ईश्वर की ओर से है और इसमें कोई संदेह नहीं है। वास्तव में जब आप इस किताब को पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि इसमें एक भी बात ऐसी नहीं है, जिसमें कोई विरोधाभास हो।

छठी बात यह है कि मनुष्य मरने के बाद के जीवन यानी परलोक पर विश्वास करे। परलोक का यह विश्वास कुछ सत्यताओं का एक समूह है जैसे–मनुष्य इस संसार में उत्तरदायी बनाया गया है। संसार की पूरी व्यवस्था नाशवान है और एक दिन यह संसार नष्ट हो जाएगा। मनुष्य जब मर जाएगा, तो मरने के बाद उसे पुनः जीवित किया जाएगा। उसके कर्मों का लेखा-जोखा ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत होगा और उसी के आधार पर उसे स्वर्ग या नरक यानी पुरस्कार या दंड दिया जाएगा। इस विश्वास को ही परलोक पर विश्वास करना कहा जाता है।

जिन लोगों में यह उक्त योग्यताएं हैं, वही लोग हैं जो वास्तव में सीधे एवं सच्चे मार्ग पर हैं और यही लोग हैं जो वास्तव में सफल होने वाले हैं। इस लोक में भी और मरने के बाद परलोक में भी। क़ुरआन में ईश्वर का कथन है–

''यह अल्लाह की किताब है, इसमें कोई संदेह नहीं। मार्गदर्शन है उन डरने वालों के लिए, जो ग़ैब (परोक्ष) पर ईमान लाते हैं, नमाज़ क़ायम करते हैं, जो रोज़ी हमने उनको दी है, उसमें से ख़र्च करते हैं, जो किताब तुमपर उतारी गई है (अर्थात् क़ुरआन) और जो किताबें तुमसे पहले उतारी गईं थीं उन सबपर ईमान लाते हैं, और परलोक (आख़िरत) में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोग अपने रब की ओर से सीधे मार्ग पर हैं और वे ही सफलता प्राप्त करने वाले हैं।''

(क़ुरआन, 2:1-7)

"यह अल्लाह की किताब है, इसमें कोई संदेह नहीं। गार्गदर्शन है उन डरने वालों के लिए, जो ग़ैब (परोक्ष) पर ईमान लाते हैं, नमाज़ क़ायम करते हैं, जो रोज़ी हमने उनको दी है, उसमें से ख़र्च करते हैं, जो किताब तुमपर उतारी गई है (अर्थात् क़ुरआन) और जो किताबें तुमसे पहले उतारी गईं थीं उन सबपर ईमान लाते हैं, और परलोक (आख़िरत) में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोग अपने रब की ओर से सीधे मार्ग पर हैं और वे ही सफलता प्राप्त करने वाले हैं।" (क़ुरआन, 2:1-7)

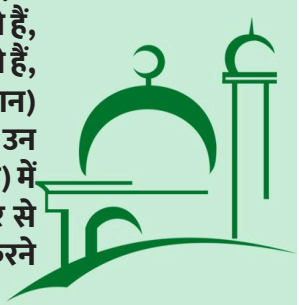



हर गंदगी को दूर करने
के लिए अल्लाह ने कोई न कोई
चीज़ बनाई है, और जिस्म को (रूहानी
गंदगियों और बीमारियों से) पाक
करने वाली चीज़ रोज़ा है, और
रोज़ा आधा सब्र (संयम) है।
(हदीस : इब्ने-माजा)

with best compliment from

J. I. H.

Kota (Raj)

KANTI Monthly, New Delhi
MARCH 2025
Posted on 20-21 February 2025
Published on 18 February 2025
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2024-2026
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2024-26
Total Pages with Cover: 52

"जिस व्यक्ति ने (रोज़ा रखकर भी) झूठ बोलना और उस पर अमल करना न छोड़ा तो अल्लाह को उसके भूखा और प्यासा रहने से कोई दिलचस्पी और सरोकार नहीं।"

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

A Well Wisher

Haji Idrees,
Damoh [M.P.]